रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 1995/आश्विन 7, 1917
No. 55] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 1995/ASVINA 7, 1917

IndCode

इलाहाबाद बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 29 सितम्बर, 1995

सं० प्रशा०/5/3889.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **इलाहाबाद बैंक** का निदेशक बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय-1

भूमिका

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का नाम **इलाहाबाद बैंक** (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 है।

(2) इन विनियमों में जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएँगे।

2. परिभाषाएँ : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) अभिप्रेत है।

(ख) " बीमांकक " का वही अर्थ होगा जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खण्ड (1) में है ।

(ग) " परिशिष्ट " से इन विनियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ।

(घ) " औसत परिलब्धि " से किसी कर्मचारी द्वारा बैंक में अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान लिए गए वेतन का औसत अभिप्रेत है,

(ङ) "बैंक" अधिनियम की पहली अनुसूची के स्तंभ 2 के अंतर्गत उल्लिखित इलाहाबाद बैंक अभिप्रेत है,

(च) " बोर्ड " से बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ।

(छ) " संतान" से कर्मचारी की संतान अभिप्रेत है, जो यदि वह पुत्र है तो पच्चीस वर्ष से कम आयु का है और यदि पुत्री है अविवाहिता है और पच्चीस वर्ष से कम आयु की है और बहुवचनमें प्रयोग किया जाने पर इस संतान पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,

(ज) " सक्षम प्राधिकारी " से इन विनियमों के प्रयोजन हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(झ) " समेकित मज़दूरी " से वेतन मान मज़दूरी न पानेवाले अधीनस्थ स्टाफ के अंशकालिक कर्मचारियों को एकमुश्त रकम अभिप्रेत है,

(ञ) " अंशदान " से बैंक द्वारा कर्मचारी की ओर से निधि में जमा की गई राशि अभिप्रेत है , किन्तु इसके अंतर्गत ब्याज के रूप में जमा की गई कोई रकम शामिल नहीं है,

(ट) " सेवानिवृत्ति की तारीख " से अभिप्रेत है उस मास की अंतिम तारीख, जिसको कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है या वह तारीख, जिसको बैंक द्वारा उसे सेवानिवृत्त किया जाता है या वह तारीख, जिसको कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या वह तारीख, जिस तारीखको अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ समझा जाता है

(ठ) "सेवानिवृत्त समझा जाना" से केन्द्र सरकार द्वारा बैंक या उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित किसी अन्य बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक में पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर बैंक की सेवा की समाप्ति अभिप्रेत है,

(ड) "अनुशासन और अपील विनियम" से उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन बनाए गए इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976/कर्मचारी (अनुशासनऔर अपील) विनियम, 1982 अभिप्रेत है,

(ठ) " कर्मचारी " से बैंक की सेवा में पूर्णकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर या अंशकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर वेतन मान पर नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसने इन विनियमों द्वारा शासित होने के विकल्प का प्रयोग किया है और इन विनियमों द्वारा शासित होता है, किन्तु संविदा आधार या दैनिक मज़दूरी आधार या समेकित मज़दूरी पर नियोजित व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं है,

(ण) किसी कर्मचारी के संबंध में " कुटुंब " से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी और स्त्री कर्मचारी की दशा में पति,

(ii) न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी, किन्तु यह पृथकरण जारकर्म के आधार पर मंजूर नहीं हुआ है और उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी नहीं ठहराया गया है,

(iii) पुत्र और अविवाहिता पुत्री, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है इसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व वैध रूप से दत्तक लिया गया पुत्र या पुत्री है,

(त) " वित्तीय वर्ष " से 1 अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होनेवाला वर्ष अभिप्रेत है,

(थ) "निधि" से विनियम 5 के अधीन गठित **इलाहाबाद बैंक** (कर्मचारी) पेंशन निधि अभिप्रेत है,

(द) " अधिसूचित तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं,

(ध) " वेतन " के अंतर्गत है-

(क) ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात किन्तु नवंबर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है या जिसकी मृत्यु हो गयी है-

(i) मूल वेतन जिसके अंतर्गत वेतनवृद्धियाँ भी हैं, यदि कोई हों, और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने और महंगाई भत्ते का संदाय करने के प्रयोजन के लिए गणना में लिए गए सभी भत्ते,

(ख) ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो 1 नवंबर 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होता है या जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है-

(i) मूल वेतन जिसके अंतर्गत वेतनवृद्धियाँ भी हैं, यदि कोई हों, और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने और महंगाई भत्ते का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए गणना में लिए जाने वाले सभी भत्ते, और

(iii) नियम वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक, और

IndiaCode

(iv) 1960 = 100 शृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 तक संगणित महंगाई भत्ता,

(न) " पेंशन " के अंतर्गत मूल पेंशन और इन विनियमों के अध्याय 6 में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन है,

(प) "पेंशनभोगी " से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन पेंशन पाने का पात्र है,

(फ) " सरकारी वित्तीय संस्था " से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 क के प्रयोजनों के लिए सरकारी वित्तीय संस्था समझी जानेवाली वित्तीय संस्था अभिप्रेत है,

(ब) " अर्हक सेवा " से ड्यूटी पर रहते हुए या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा,

(भ) " सेवानिवृत्त " के अंतर्गत खण्ड (1) के अंतर्गत सेवानिवृत्त समझा गया है,

(म) " सेवानिवृत्त" से निम्नलिखित दशाओं में बैंक की सेवा समाप्ति अभिप्रेत है, अर्थात्-

(i) सेवा विनियमों या समझौतों में उल्लिखित अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर,

(ii) इन विनियमों के विनियम 29 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर,

(iii) सेवा विनियमों या समझौतों में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता आयु से पूर्व ही समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर,

(य) " मज़दूरी मान " से अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में अभिप्रेत समझौते के अधीन समय समय पर संदेय मूल वेतन, नगर प्रतिकर भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते, यदि कोई हों, और महंगाई भत्ता,

(यक) ''सेवा विनियमों'' से उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत बनाए गए इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979/(अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 अभिप्रेत हैं,

(यख) " समझौता " से बैंक प्रबंधक वर्ग द्वारा प्राधिकृत संघ के प्रतिनिधियों और ऐसे बैंक के कर्मकारों द्वारा प्राधिकृत ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों का बैंक प्रबंधक वर्ग के बीच हुआ समझौते का ज्ञापन अभिप्रेत है,

(यग) ''न्यास'' से अभिप्रेत है विनियम 5 के उप विनियम 1 के अधीन गठित इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास,

(यघ) ''न्यासी'' से अभिप्रेते है विनियम 5 के अधीन गठित इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के न्यासी,

(यङ) " भविष्य निधि का न्यासी " से अभिप्रेत है बैंक के भविष्य निधि का न्यासी,

(घघ) इन विनियमों में प्रयोग किए गए किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो अधिनियम या सेवा विनियमों या समझौतों में परिभाषित है, वही अर्थ लेंगे जो यथास्थिति, अधिनियम, सेवा विनियमों या समझौतों में है ।

अध्याय 2

लागू होना और पात्रता

3. ये विनियम ऐसे कर्मचारियों को लागू होंगे जो

(1) (क) पहली जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में थे किन्तु पहली नवम्बर 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे, और

(ख) अधिसूचित तारीख से एक सौ दिन के भीतर लिखित में निधि का लिखित सदस्य बनने का विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात साठ दिन के भीतर , भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज , भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर पर अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देते हैं, या

(2) (क) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात परंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, और

(ख) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात साठ दिनों के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर पर अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देते हैं, या

(3) (क) अधिसूचित तारीख से पूर्व बैंक की सेवा में है और अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में बने रहते हैं, और

(ख) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) बैंक के भविष्य निधि के न्यासी को बैंक की संपूर्ण रकम, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, विनियम 5 के अधीन इस प्रयोजन हेतु गठित निधि में अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं , या

(4) अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में आते हैं, और

(5) पहली नवम्बर 1993 को या उसके पश्चात किसी भी समय बैंक की सेवा में थे और जिनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई थी, ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब , उस तारीख से, जिसको वे यदि जीवित रहते तो इन विनियमों के अधीन पेंशन पाने के हकदार होंगे, यदि मृत कर्मचारी का कुटुम्ब-

(क) अधिसूचित तारीख से बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर दें, या

(6) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में आते हैं किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व बैंक की सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे,

परन्तु यह तब तक कि ऐसे मृत कर्मचारी का कुटुम्ब अधिसूचित तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम को उस पर प्रोद्भूत ब्याज और भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ वापस कर देता है,

परन्तु यह और भी कि ऐसे मृत कर्मचारी का कुटुम्ब पेंशन प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेगा, या

(7) पहली जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात किसी भी समय बैंक की सेवा में थे और जिनकी 31 अक्तूबर, 1993 को या उससे पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है या जो 31 अक्तूबर 1993 को या इससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे किंतु जिसकी अधिसूचित तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई है, ऐसे मामले में ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब इन विनियमों अधीन यथास्थिति , पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे , यदि मृत कर्मचारी या कुटुम्ब -

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात साठ दिन के भीतर , भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उस रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है, या

(8) 31 अक्तूबर , 1993 को या इससे पूर्व बैंक की सेवा में आता है और जिनको पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात बाद किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है, ऐसे मामले में, ऐसे कर्मचारियों के अधीन कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन हकदार होंगे, यदि मृत कर्मचारी का कुटुम्ब -

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित रूप में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख)उपर्युक्त खण्ड (क)में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात साठ दिन के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिशिधारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है ।

(9) उप विनियम (1),(2),(3),(5) और (8) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कर्मचारी या मृत कर्मचारी का कुटुम्ब इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित तारीख से साठ दिन के भीतर बैंक का अंशदान और उस पर प्रोद्भूत ब्याज , उस रकम पर अतिरिक्त सामान्य ब्याज सहित ,भविष्य निधि को लौटा देता है और उस दशा में जब भविष्य निधिन्यास से प्राप्त नहीं हुआ है, यदि उसने अधिसूचित तारीख से साठ दिन के भीतर बैंक के भविष्य निधि न्यासियों को भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार उस पर प्रोद्भूत ब्याज को विनियम 5 के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित निधि में जमा कराने हेतु प्राधिकृत कर दिया है या ऐसा करता है, यदि कोई कर्मचारी या मृत कर्मचारी का कुटुम्ब अधिसूचित तारीखसे पूर्व कोई विकल्प चुन लेता है तो समझौते के अनुसार इस अध्याय के प्रयोजन हेतु विकल्प माना जाएगा ।

4. भविष्य निधि में अंशदान करने का विकल्प :

(1) विनियम 3 के उप विनिबम (4) में किसी बात के होते हुए भी, वह कर्मचारी, जो अधिसूचित तारीख को या इसके पश्चात पैंतीस वर्ष या इससे अधिक आयु में बैंक की सेवा में आता है, अपनी नियुक्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर पेंशन के अपने अधिकार छोड़ने का निर्वाचन कर सकेगा और ऐसा करने पर ये विनियम लागू नहीं होंगे ।

(2) उप -विनियम (4) और विनियम 3 में निर्दिष्ट विकल्प का एक बार प्रयोग किया जाए पर वह अंतिम होगा ।

अध्याय -3

निधि

5. निधि का गठन :

(1) बैंक अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा ।

(2) निधि का एक मात्र प्रयोजन होगा कर्मचारी या उसके कुटुम्ब को इन विनियमों के अनुसार पेंशन के संदाय का उपबंध करना ।

(3) बैंक निधि का एक अंशदाता होगा और वह सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि रहे ताकि न्यासी इन विनियमों के अधीन हिताधिकारियों को शोध्य संदाय कर सकें।

6. भविष्य निधि न्यास का दायित्व :—भविष्य निधि न्यास निधि के गठन के तुरंत पश्चात् प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संचित रकम ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि में अंतरित करेगा ।

7. निधि की संरचना : निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात

(क)कर्मचारी के वेतन पर दस प्रतिशत प्रति मास की दर से बैंक द्वारा अंशदान ।

(ख) कर्मचारियों की दशा में भविष्य निधि में बैंक का संचित अंशदान और ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज।

(ग) ऐसे कर्मचारियों द्वारा जो अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं किन्तु जिन्होंने इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन के विकल्प का प्रयोग किया है वापस की गई बैंक के अंशदान की रकम और उस पर ब्याज ।

(घ) निधि के धन से क्रय की गई वार्षिकी या प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और उस पर ब्याज।

(ङ) निधि की पूंजी आस्तियों से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की रकम ।

(च) इन विनियमों के विनियम ॥ में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया अभिदत्त वार्षिक अंशदान।

(छ) निधि में जमा की गयी रकमों के निवेश से हुई आय ।

(ज) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा वापस किए गए बैंक के अंशदान की रकम और उस पर ब्याज ।

8. न्यासी बोर्ड :-

(1) न्यासी बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त इतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिसकी संख्या बैंक अवधारित करेगा किंतु जिसकी संख्या तीन से कम और नौ से अधिक नहीं होगी ।

(2) न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार बैंक में निहित होगा और ऐसी सभी नियुक्तियाँ लिखित रूप से की जाएंगी ।

(3) बैंक एक न्यासी को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा । बैंक किसी एक न्यासी को अनुकल्पी अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

9. न्यासियों द्वारा बैंक के निदेशों का पालन किया जाना :- न्यासीगण
निधि के समुचित कार्यकरण के लिए बैंक द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेंगे ।

10. निधि की लेखाबहियाँ :-

(1) निधि के लेखाओं में निधि से संबंधित सभी वित्तीय संव्यवहारों की विशिष्टियाँ ऐसे प्रारूप में अंतर्विष्ट होंगी जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिन के भीतर न्यास, न्यास की आस्तियों और दायित्वों का सामान्य लेखा दर्शाते हुए अपना वित्तीय विवरण तैयार करेगा और उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित करेगा ।

(3) निधि के लेखाओं की उक्त अधिनियम की धारा दस के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा की जाएगी ।

11. निधि का बीमांकिक अन्वेषण :- बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति का किसी बीमांकन द्वारा अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इन विनियमों के अधीन लाभों का संदाय सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हों :

परंतु यह कि बैंक जिस वित्तीय वर्ष में निधि का गठन किया गया है उसके ठीक पश्चात्वर्ती 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी बीमांकक से अन्वेषण कराएगा ।

12. निधि का निवेश :- निधि में अंशदान की गयी या प्राप्त या ब्याज के रूप में अधिसूचित तारीख के पश्चात प्रोद्भूद संपूर्ण राशि भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा की जा सकेगी या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (1882 का 2) के अनुसार उपयोग में लायी जा सकेगी ।

13 निधि से भुगतान :- न्यास द्वारा फायदों का संदाय बैंक कर्मचारियों को पेंशनिक फायदे या बैंक के मृत कर्मचारियों के कुटुम्बों को कुटुम्ब पेंशन देने के लिए किया जाएगा ।

अध्याय 4

अर्हक सेवा

14. अर्हक सेवा :- इन विनियमों में अंतर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा कर्मचारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को या जिस तारीख को वह सेवानिवृत्त समझा जाता है उस तारीख को बैंक में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है, पेंशन के लिए अर्हित होगा ।

15. अर्हक सेवा का आरंभ :- इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी, जिस तारीख को वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर वह पहली बार स्थायी आधार पर नियुक्त हुआ है ।

16. परिवीक्षा पर की गयी सेवा की गणना :- बैंक में किसी पद पर परिवीक्षा पर की सेवा अर्हक सेवा होगी, यदि परिवीक्षा के पश्चात उसी पद पर या किसी अन्य पद पर उसकी पुष्टि हो जाती है ।

17. छुट्टी पर व्यतीत अवधि की गणना :- बैंक की सेवा में ऐसी सभी छुटिटयों की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है ।

परंतु वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में नहीं गिनी जाएगी सिवाय तब के जब मंजूरी प्राधिकारी ने निदेश दिया है कि ऐसी छुट्टी, संपूर्ण सेवावधि के दौरान बारह महीनों से अनधिक, पेंशन सहित सभी प्रयोजनों के लिए सेवा के रूप में गिनी जाए ।

18. एक वर्ष से कम की सेवा का खंडित सेवाकाल - यदि किसी कर्मचारी की सेवा में एक वर्ष से कम का खंडित सेवाकाल सम्मिलित है तो यदि यह खंडितकाल छः महीनों से अधिक है तो उसे एक वर्ष माना जाएगा और यदि ऐसा खंडितकाल छः महीने या कम है तो इसे छोड दिया जाएगा ।

19. प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना :- किसी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति से ठीक पहले बैंक में प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।

20. किसी पूर्व बैंक के साथ की गयी भूतकालिक सेवा की गणना:-जिस बैंक में ये विनियम लागू होते हैं,उसमें किसी अन्य बैंक के विलयन या समामेलन पर किसी अन्य बैंक से स्थायी रूप से स्थानांतरित किए गए कर्मचारी में, ऐसे कर्मचारी द्वारा यथास्थिति किसी की अन्य बैंक में स्थायी आधार पर की गई अनवरत सेवा, यदि कोई हो, जिसके पश्चात बिना किसी व्यवधान के स्थायी नियुक्ति हुई हो या बैंक में स्थायी क्षमता में की गई अनवरत सेवा होगी, परंतु संविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी के आधार पर या सप्ताहिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी पर यह विनियम लागू नहीं होगा ।

21. निलंबन की अवधि :- जाँच लंबित रहने के दौरान किसी कर्मचारी की निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के लिए की जाएगी जहाँ ऐसी जाँच पूरी हो जाने के पश्चात उसे पूरी तरह निमुक्त कर दिया गया है या निलंबन की अवधि को तब तक अर्हक सेवा नहीं गिना जाएगा जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करनेवाले सेवा विनियमों या अनुशासन एवं अपील विनियमों या समझौतों के अधीन आदेश पारित करनेवाला सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना उस विस्तार तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे ।

22. सेवाकाल का समपहरण:-

1. किसी कर्मचारी के बैंक की सेवा से त्यागपत्र देने या उसके पदच्युत किए जाने या हटाए जाने या सेवा समाप्ति पर उसकी संपूर्ण पिछली सेवा समपहृत हो जाएगी और परिणामस्वरूप पेंशनिक फायदों के लिए अर्हक सेवा नहीं होगी ।

2. निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी बैंक कर्मचारी की सेवा में व्यवधान उसकी पूर्व सेवा को अपरिहार्य रूप से समपहृत कर देता

क) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी,

ख) निलंबन, जहां उसका तुरंत यथापूर्वकरण चाहे उसी पद पर हो या किसी भिन्न पद पर या जहां बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या उसे सेवा निवृत्ति की अनुमति दी गई है या निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है ।

ग) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संस्थान में या बैंक में गैर अर्हक सेवा में स्थानांतरण , यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकहित में दिया गया है ।

घ) स्थानांतरण पर एक पद से दूसरे पद पर कार्यग्रहण करने का समय ।

3. उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है ।

4. क) सेवा अभिलेख में किसी प्रतिकूल विशिष्ट उपदर्शन के अभाव में किसी बैंक कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की दो अवधियों के बीच के व्यवधान को स्वतः माफ़ किया जाएगा और व्यवधान से पहले की सेवा को अर्हक सेवा माना जाएगा ।

Indiacode

ख) खण्ड (क) की कोई भी बात त्याग पत्र या पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के कारण या हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए व्यवधान पर लागू नहीं होगी ।

परंतु किसी बैंक कर्मचारी के सेवा अभिलेख में हड़ताल में भाग लेने के कारण पिछली सेवा में हुए व्यवधान के संबंध में, प्रविष्टि करने से पहले ऐसे बैंक कर्मचारियों को अभ्यावेदन करने का एक अवसर दिया जा सकता है ।

23. विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि :- संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य विदेशी नियोक्ता या संगठन को विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी अपने विकल्प पर -

क) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन का अंशदान अदा कर सकता है और ऐसी सेवा की गणना इन विनियमों के अधीन अर्हक सेवा की रूप में कर सकता है , या

ख) विदेशी नियोजक के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति फायदों का लाभ ले सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन विनियमों के अधीन अर्हक सेवा के रूप में नहीं करेगा ।

परंतु यदि कोई कर्मचारी खण्ड (ख) के लिए विकल्प देता है तो उसे सेवानिवृत्ति फायदे भारत में रुपयों में ऐसी तारीख से और ऐसी रीति से संदेय किए जाएँगे जिसे बैंक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

24. सेना में सेवा :- ऐसा कर्मचारी जिसने बैंक में नियुक्ति से पहले सेना में सेवा की है सैनिक पेंशन ,यदि कोई हो, प्राप्त करता रहेगा और सेना में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की गणना पेंशन के रूप में नहीं की जाएगी ।

25. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि :- भारत में किसी अन्य संगठन में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।

परंतु यह तब जबकि ऐसा संगठन जिसमें वह प्रतिनियुक्त है या कर्मचारी इन विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (क) में विनिर्दिष्ट दरों पर या प्रतिनियुक्ति के समय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, पेंशन संबंधी अंशदान का बैंक को संदाय करें ।

26. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्धन :- कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन के लिए (किन्तु किसी अन्य वर्ग की पेंशन के लिए नहीं) अर्हता करने वाले अपने सेवा काल में अपनी सेवा की एक चौथाई से अनधिक या उतनी वास्तविक अवधि जितनी से, भर्ती के समय सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से उसकी आयु अधिक थी या पांच वर्ष की अवधि की, इनमें से जो भी कम हो, वृद्धि करने का पात्र होगा किन्तु यह तब तक जबकि वह सेवा या पद, जिसपर कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से एक है -

क) जिसके लिए कि स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ अर्हताएँ या वैज्ञानिक प्रौद्योगिक या वृत्तिक क्षेत्रों में अनुभव आवश्यक है, और

ख) जिस पर सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा सामान्यतया विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से अधिक के अभ्यर्थी भर्ती किए जाते हैं ,

ग) जिस के लिए अभ्यर्थी को उसके पास उच्चतर अर्हताएँ और अनुभव होने के कारण बैंक द्वारा नियत अधिकतम आयु सीमा से ऊपर छूट दी गई हो ।

परंतु यह रियायत किसी कर्मचारी को तभी अनुज्ञेय होगी जबकि बैंक की सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा कम से कम दस वर्ष की हो ।

परंतु यह भी कि किसी कर्मचारी को यह रियायत तभी अनुज्ञेय होगी जब उक्त सेवा या पद के संबंध में भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि इस सेवा या पद के लिए इस नियम का फायदा उपलब्ध है ।

परंतु यह भी कि किसी सेवा या पद के संबंध में भर्ती नियम, जिनमें इस विनियम के फायदे उपलब्ध होंगे केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बनाए जाएँगे ।

27. स्थाई अंशकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना :-

(1) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो कि मज़दूरी मान पर नियुक्त था और स्थाई अंशकालिक आधार पर बैंक की सेवा में नियोजित था और भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था, उसके द्वारा स्थाई अंशकालिक आधार पर की गई ऐसी सेवा की गणना भविष्य निधि का सदस्य बनने की तारीख से अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।

(2) पेंशन की रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए उप-विनियम (1) में उल्लिखित कर्मचारी की अर्हक सेवा परिशिष्ट 4 के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

अध्याय 5

पेंशन के वर्ग

28. अधिवर्षिता पेंशन :- अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो सेवा विनियमों या समझौतों में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ है ।

29. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन:

(1) पहली नवंबर, 1993 को या उसके पश्चात कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर सेवा निवृत्त हो सकेगा,

परंतु यह उप विनियम प्रतिनियुक्ति पर या विदेश में अध्ययन हेतु छुट्टी पर गए कर्मचारी को तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह स्थानांतरित होने पर या भारत लौटने पर भारत में सम पद का कार्यभार पुन: ग्रहण नहीं कर लेता और कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता है,
परंतु यह भी कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगा जो ऐसे किसी स्वशासी निकाय या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय में , चाहे वह निगमित हो या नहीं, में स्थाई रूप से आमेलित होने के लिए सेवा निवृत्ति माँगते समय प्रतिनियुक्ति पर है, परंतु यह उप विनियम उस कर्मचारी को लागू नहीं होगा जो विनियम 2 के खण्ड (1) के अनुसार समझा गया है ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी,

परंतु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करता है तो सेवा निवृत्त उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी ।

3. (क) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को यह कारण बताते हुए लिखित अनुरोध कर सकेगा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तीन मास से कम की सूचना स्वीकार कर ली जाए,

(ख) खण्ड (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, उप विनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी गुणावगुण के आधार पर सूचना की तीन महीने की अवधि में कमी करने के अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि सूचना की अवधि में कमी करने से से कोई प्रशासनिक असुविधा पैदा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर तीन महीने की सूचना संबंधी अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा कि कर्मचारी सूचना के तीन महीने समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा ।

(4) ऐसे कर्मचारी को, जिसने इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का निर्वाचन किया है और इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक सूचना दी है, ऐसे अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस नहीं ले सकेगा।

परंतु यह कि सूधना वापस लेने के लिए अनुरोध सेवानिवृत्त की आशयित तारीख से पहले किया जाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारी की अर्हक सेवा इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी कि उस कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और इससे यह अधिवर्षिता की तारीख से आगे नहीं जाएगी ।

(6) इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारी की पेंशन इन विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (घ) के अधीन यथापरिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी और वृद्धि से, जो कि उसकी अर्हक सेवा में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, वह अपनी पेंशन की संगणना के लिए वेतन के काल्पनिक नियतन का हकदार नहीं होगा ।

30. अशक्त पेंशन:

(1) ऐसे कर्मचारी को अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकेगी,

(क) जिसने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है, और

(ख) जो पहली नवंबर 1993 को या उसके पश्चात जो किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण सेवानिवृत्त हुआ है जिसने उसे सेवा के लिए स्थाई रूप से असमर्थ बना दिया है ।

(2) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करनेवाला कर्मचारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया असमर्थता संबंधी डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहाँ बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी को उस पद से जिस पर वह कार्य कर रहा था, कम परिश्रम वाले कार्य पर आगे सेवा हेतु स्वस्थ घोषित कर देता है तो यदि वह कार्य करना चाहता हो तो, उसे निम्नतर पद पर सेवा में रखा जा सकता है और यदि वह निम्नतर पद पर रखने का कोई साधन नहीं है तो उसे अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकती है ।

(4) सेवा हेतु अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक इस आशय का पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि सक्षम प्राधिकारी को इस बात की जानकारी है कि आवेदक बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहता है ।

(5) सक्षम प्राधिकारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी को जिस बैंक में आवेदक नियोजित है उसके अभिलेख से प्रकट होनेवाली आवेदक की आयु की जानकारी देगा ।

31. अनुकंपा भत्ता:

(1) ऐसे कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा समाप्त की जाती है, पेंशन समयहृत हो जाएगी :

परन्तु पदच्युत करने या सेवा से हटाने या सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी, यदि-

(i) ऐसी पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या सेवा समाप्ति 1 नवंबर 1993 को या उसके पश्चात की गई है, और

(ii)मामला विशेष रूप से विचार किए जाने के योग्य है तो, ऐसी पेंशन की दो तिहाई से अनधिक अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकेगा, जो उसकी पदच्युति, सेवा से हटाए जाने या सेवा समाप्त करने की तारीख तक की गई सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती ।

(2) उप विनियम (1) के परंतुक के अधीन स्वीकृत अनुकंपा भत्ता इन विनियमों के विनियम 36 के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा ।

32. समयपूर्व सेवानिवृत्ति : समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो,

(क) न्यूनतम दस वर्ष की सेवा कर चुका हो,

(ख) लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त होने के बैंक के आदेश के कारण या सेवा विनियमों या समझौते में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्त होता है, और जो अन्यथा अधिवर्षिता की उस तारीख पर पेंशन के लिए पात्र होता ।

33. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन :

(1) पहली नवंबर 1993 को या उसके पश्चात अनुशासन एवं अपील विनियमन या समझौते के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति दिए जाने पर सेवा से शास्ति के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को उस दर से पेंशन दी जा सकती है जो उसे देय पेंशन के दो तिहाई से कम न हो और उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकृत उस पूरी पेंशन से अधिक न हो, यदि वह अन्यथा अधिवर्षिता की तारीख को ऐसी पेंशन का पात्र होता ।

(2) जब भी किसी बैंक कर्मचारी की दशा में सक्षम प्राधिकारी कोई आदेश पारित करता है (चाहे वह आरंभिक, अपील या पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हो) जिसमें इन विनियमों के अधीन स्वीकृत पूर्ण प्रतिकर पेंशन से कम पेंशन दी गई है, तो ऐसा आदेश पारित करने से पहले निदेशक बोर्ड से परामर्श किया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, उप विनियम (1) या उप विनियम (2) के अधीन, दी गई या प्रदान की गई पेंशन प्रतिमास तीन सौ पचहत्तर रुपए की रकम से कम नहीं होगी ।

34. 01.01.1986 से 31.10.1993 के बीच सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या कुटुम्ब पेंशन का संदाय:-

(1) 1 जनवरी, 1986 और 31 अक्तूबर, 1993 के बीच बैंक की सेवा से निवृत्त होनेवाले कर्मचारी 1 नवंबर 1993 से पेंशन के लिए पात्र होंगे ।

(2) विनियम 3 के उप-विनियम (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित मृत कर्मचारी का कुटुम्ब 1 नवंबर, 1993 से पेंशन का पात्र होगा ।

अध्याय 6

पेंशन की दर

35. पेंशन की रकम:-

(1) 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात किंतु 31 अक्तूबर 1987 के पूर्व सेवाकनिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन को परिशिष्ट 1 में दिए गए सूत्र के अनुसार अद्यतन किया जाएगा ।

(2) तैंतीस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवा विनियमों या समझौते के उपबंधों के अधीन सेवानिवृत्तहोनेवाले कर्मचारी के मामले में मूल पेंशन की रकम की संगणना औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी ।

(3) (क) अतिरिक्त पेंशन, कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान प्राप्त किए गए भत्तों की राशि की पचास प्रतिशत होगी,

(ख) अतिरिक्त पेंशन की रकम पर कोई महंगाई राहत नहीं दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण:- इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए भत्तों से वे भत्ते अभिप्रेत हैं जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए जिस विस्तार तक गणना की जाती है उसतक अनुज्ञेय है ।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (2) और उप विनियम (3) के रूप में परिकलित पेंशन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन के अधीन रहते हुए होगी ।

(5) ऐसे कर्मचारी को जिसने इन विनियमों के विनियम 41 के उपबंधों के अनुसारअपनी पेंशन के अनुज्ञेय भाग का संराशीकरण करवाया है, प्रत्येक मास पेंशन का केवल अतिशेष ही प्राप्त होगा ।

(6) (क) तैंतीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले किंतु दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन की रकम उप विनियम (2) और (3) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की रकम के अनुपात में होगी और किसी भी दशा में पेंशन की रकम इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगी ।

IndiaCode

(ख) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अशक्त पेंशन की रकम, कुटुम्ब पेंशन की उस सामान्य दर से कम नहीं होगी , जो सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कुटुम्ब को संदेय होती ।

(7) इस विनियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और यदि पेंशन में रुपए का कोई भाग हो तो इसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।

36. न्यूनतम पेंशन :- न्यूनतम पेंशन की रकम इस प्रकार होगी -

(क) पहली नवम्बर, 1993 से पहले अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न सेवानिवृत्त कर्मचारी की दशा में तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रति मास, और

(ख) पहली नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी की दशा में एक सौ पचीस रुपए प्रतिमास,

(ग) पहली नवम्बर ,1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होनेवाले अंशकालिक कर्मचारी सेभिन्न कर्मचारी की दशा में सात सौ बीस रुपए प्रतिमास, और

(घ) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंसकालिक कर्मचारी की दशा में दो सौ चालीस रुपये प्रति मास

37. महंगाई राहत:-

(1) मूल पेंशन या कुटुम्ब पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता पर महंगाई राहत परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मंजूर की जाएगी ।

(2) महंगाई राहत, संराशीकरण के पश्चात भी, पूर्ण मूल पेंशन पर अनुज्ञात की जाएगी ।

38. औसत परिलब्धियों के लिए दस मास की अवधि का अवधारणा:-

(1) औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से की जाएगी ।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में , औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ है या बैंक द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया है ।

(3) पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या सेवा समाप्ति के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना बैंक से कर्मचारी की पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(4) यदि सेवा के अंतिम दस माह के दौरान कर्मचारी बिना वेतन असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है या निलंबित रहा है और उस अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं की गई है तो औसत परिलब्धियों की गणना करते समय असाधारण छुट्टी या निलंबन की उक्त अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और दस मास से पहले की उतनी ही अवधि उसमें सम्मिलित कर ली जाएगी ।

IndiaCode

अध्याय 7

कुटुम्ब पेंशन

39. कुटुम्ब पेंशन ः

(1) इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कर्मचारी की मृत्यु -

(क) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने के पश्चात होती है, या

(ख) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले होती है, परंतु संबंधित कर्मचारी की सेवा में या पद पर नियुक्ति होने से ठीक पहले बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँच की गई थी और उसे बैंक में नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था, या

(ग) सेवा निवृत्ति के पश्चात और वह मृत्यु की तारीख को पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा था,
तो मृत कर्मचारी का कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा, जिसकी रकम का अवधारण परिशिष्ट III के अनुसार किया जाएगा ।

(2) कुटुम्ब पेंशन की रकम मासिक दरों पर नियत की जाएगी और पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और जहाँ कुटुम्ब पेंशन में रुपए का कोई भाग है, तो इसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा,

परंतु किसी भी दशा में कुटुम्ब पेंशन इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं होगी ।

(3) (क) (i) जहाँ किसी कर्मचारी की जो कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) से शासित नहीं होता है, कम से कम सात वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के दुगुने के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी और इस प्रकार अनुज्ञेय रकम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से साठ वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को मृत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता , इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी ।

(ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, इस उप विनियम के खण्ड (क) या खंड (ख) के अधीन यथा अवधारित कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से सात
वर्ष के लिए या उस तारीख को समाप्त होनेवाली अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी, यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी ।

(ख) (i) जहाँ किसी कर्मचारी कि जो कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 (1923 का 8) से शासित होता है, सात वर्ष से अन्यून की निरंतर सेवा करने के पश्चात सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञात कुटुम्ब पेंशन के डेढ़ गुने के, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी ।

(ii) उप खंड (i) के अधीन इस प्रकार अवधारित कुटुम्ब पेंशन खंड (क) में उल्लिखित अवधि के लिए संदेय होगी,

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पश्चात वह कुटुम्ब, जिसे उस खंड या खंड (ख) के अधीन कुटुम्ब पेंशन मिल रही है, उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय दर पर कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा ।

(4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मृत कर्मचारी का कुटुम्ब विनियम 3 के उप विनियम (5) के अनुसार पेंशन के विकल्प का प्रयोग या विनियम 3 के उप विनियम (6) या (7) या (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता है, तो मृत कर्मचारी का ऐसा कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन पेंशन का पात्र होगा ।

40. कुटुंब पेंशन के संदाय की अवधि :

(1) जिस अवधि के लिए कुटुंब पेंशन संदेय होगा, वह अवधि होगी,

(क) विधवा या विधुर की दशा में, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र की दशा में, जब तक कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का नहीं हो जाता और

(ग) अविवाहित पुत्री की दशा में जब तक कि वह पच्चीस वर्ष की आयु की नहीं हो जाती या जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, होगी ।

परंतु यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या अशक्तता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त है, जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का होने के बाद भी जाविकोपार्जन में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदेय होगी, अर्थात :

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या अधिक संतान में से एक है तो आरंभ में कुटुंब पेंशन का संदाय उप विनियम (1) के खण्ड (ङ) में निर्धारित क्रम में अवयस्क संतानों को किया जाएगा जब तक कि अंतिम अवयस्क संतान पच्चीस वर्ष की आयु की नहीं हो जाती और तत्पश्चात् कुटुंब पेंशन, मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः प्रारंभ की जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी,

(ii) यदि मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त एक से अधिक संतानें हैं तो उनकी जन्म की तारीख के क्रम में पेंशन का संदाय किया जाएगा और उनमें से कनिष्ट संतान को कुटुंब पेंशन तभी मिलेगी जब उससे ठीक ज्येष्ठ संतान की पात्रता समाप्त हो जाती है ।

परंतु जहाँ कुटुंब पेंशन ऐसी जुड़वाँ संतान को संदेय है, वहाँ इसका संदाय उप विनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गई रीति से किया जाएगा ।

(iii) उस दशा के सिवाय जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र या पुत्री वयस्क है, ऐसे पुत्र या पुत्री को संरक्षक के माध्यम से कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा मानो वह अवयस्क हो ।

(iv) ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन मंजूर करने से पहले सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान कर लेगा कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी है कि यह अपनी जीविका उपार्जित करने में असमर्थ है और इसके लिए बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होगा, जिसमें संतान की सही शारीरिक या मानसिक स्थिति, यथासंभव, बताई गई होगी ।

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त करनेवाला व्यक्ति या बिना संरक्षक के माध्यम के कुटुंब पेंशन लेनेवाला पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीसरे वर्ष बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अब भी मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त है या अब भी शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त है ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में विनिर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक की अशक्त संतानों को कुटुंब पेंशन की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्,

(i) पुत्री का विवाह हो जाने पर वह विवाह होने की तारीख से इस उप विनियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगी ।

(ii) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी जीविका उपार्जित करने लग जाता या जाती है तो उसे संदेय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी । ऐसे मामलों में संरक्षक या पुत्र या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मास बैंक को यह प्रमाण-पत्र दे कि -

(अ) उसने जीविकोपार्जन करना आरंभ नहीं किया है ।

(आ) पुत्री की दशा में उसका अभी विवाह नहीं हुआ है ।

(घ) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी अपनी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है तो कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को संदेय होगी और उनके न होने पर पात्र संतान को देय होगी ।

(ङ) संतान को कुटुंब पेंशन उनके जन्म की तारीख के क्रम में संदेय होगी और कनिष्ठतर संतान तब तक कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे ज्येष्ठतर संतान कुटुंब पेंशन पाने के लिए अपात्र नहीं हो जाती ।

परंतु जहाँ कुटुंब पेंशन का संदाय जुड़वाँ को किया जाता है, वहाँ इसका संदाय उप विनियम (1) के खण्ड (घ) में वर्णित रीति से किया जाएगा ।

(च) जहाँ कुटुम्ब पेंशन का संदाय जुड़वां संतान को किया जाना है वहाँ ऐसी संतानों को उसका संदाय समान भागों में किया जाएगा -

परंतु जहाँ इस प्रकार की किसी एक संतान की पात्रता नहीं रहती है वहाँ उसका भाग दूसरी संतान को दे दिया जाएगा और जहाँ दोनों संतानों की पात्रता नहीं रहती है वहाँ कुटुम्ब पेंशन यथास्थिति, अगली पात्रता संतान या जुड़वाँ संतान को दी जाएगी ।

(2) जब मृत कर्मचारी या पेंशन भोगी एक से अधिक संतान छोड़ जाता है तो ज्येष्ठतम पात्र संतान उप विनियम (1) के , यथास्थिति, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में दी गई अवधि के लिए कुटुम्ब पेंशन की हकदार होगी और उस अवधि की समाप्ति होने पर उससे ठीक कनिष्ठ संतान कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र होगी ।

(3) जहाँ कुटुंब पेंशन इस विनियम के अधीन अवयस्क को मंजूर की जाती है वहाँ अवयस्क के विभिन्न संरक्षक को संदेय होगी ।

(4) उस दशा में जब पति और पत्नी दोनों बैंक के कर्मचारी हैं और इस विनियम के उपबंधों द्वारा शासित हैं और उनमें से एक की मृत्यु सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के पश्चात हो जाती है तो मृत कर्मचारी की बाबत कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय होगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर मृत माता पिता के संबंध में उत्तरजीवी संतान या संतानों को दो कुटुंब पेंशनों की मंजूरी नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए की जाएगी , अर्थात् :

(क) यदि उत्तरजीवी संतान या संतानें विनियम 39 के उप विनियम (3) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) के खण्ड (ख) या उप खण्ड (i) में उल्लिखित दरों पर दो कुटुंब पेंशनों को पाने के पात्र हैं तो ऐसे कर्मचारियों की बाबत जो पहली नवंबर , 1993 के पहले सेवानिवृत्त हो गया है या सेवाकाल में जिसकी मृत्यु हो गई है दोनों पेंशनों की रकम दो हज़ार पाँच सौ रुपये प्रति मास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारियों की बाबत जो पहली नवंबर 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गये या उनकी मृत्यु हो गई है, दोनों पेंशनों की रकम केवल चार हज़ार आठ सौ रुपये प्रति माह तक सीमित होगी ।

(ख) यदि दोनों पेंशनों विनियम 39 के उप विनियम (3) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) में या खण्ड (ख) या उप खण्ड (i) में उल्लिखित दरों पर देय कुटुंब पेंशन में से एक मिलना बंद हो जाती है और उसके स्थान पर विनियम 39 के उप विनियम (i) में उल्लिखित दरों पर कुटुंब पेंशन संदेय हो जाती है तो उस कर्मचारी की बाबत जो पहली नवंबर 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था या सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो गई थी , दोनों पेंशनों की रकम दो हज़ार पाँच रुपये प्रति मास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारी की बाबत जो पहली नवंबर 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या जिसकी मृत्यु हो गई है, यह रकम चार हज़ार आठ सौ रुपये प्रति मास तक सीमित होगी ।

(ग) यदि दोनों कुटुंब पेंशन विनियम 39 के उप विनियम (i) में उल्लिखित दर पर संदेय है तो कर्मचारी के पहली नवंबर 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त होने या सेवाकाल में उसकी मृत्यु होने की दशा में पेंशन की रकम एक हज़ार दो सौ पचास रुपये प्रति मास तक सीमित होगी और उस कर्मचारी की बाबत जो पहली नवंबर 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने या सेवाकाल में जिसकी मृत्यु हो जाती है कुटुंब पेंशन की रकम दो हज़ार चार सौ रुपये प्रति मास तक सीमित होगी ।

(5) (क) जहाँ कुटुंब पेंशन एक से अधिक विधवाओं को संदेय है वहाँ कुटुंब पेंशन का सभी विधवाओं को समान भागों में संदाय किया जाएगा ।

(ख) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके अंश की कुटुंब पेंशन उसकी पात्र संतान को संदेय होगी ।

परंतु यदि विधवा के कोई उत्तरजीवी संतान नहीं है तो उसके अंश की कुटुंब पेंशन व्यपगत नहीं होगी किंतु वह अन्य विधवाओं को समान भागों में संदेय होगी और यदि इस प्रकार की केवल एक ही विधवा जीवित रहती है तो पेंशन की संपूर्ण रकम उसे संदेय होगी ।

(ग) यदि मृत कर्मचारी या पेंशन भोगी की उत्तरजीवी एक विधवा है किंतु उसकी दूसरी पत्नी से, जो जीवित नहीं है, उसके पात्र एक या अधिक संतान जीवित हैं, तो पात्र संतान कुटुंब पेंशन के उस अंश के लिए पात्र होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय उस संतान या संतानों की माता को यदि वह जीवित होती तो मिलता ।

परंतु यह कि जब इस प्रकार की संतान या संतानों या विधवा या विधवाओं को कुटुंब पेंशन के अंश यह संदेय नहीं रहते हैं तब वह रकम व्यपगत नहीं होगी बल्कि वह दूसरी विधवा या विधवाओं को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगी , समान भागों में संदेय होगी या यदि केवल एक ही विधवा या संतान हो तो उसे पूरी रकम संदेय होगी ।

(घ) जहाँ कुटुंब पेंशन जुड़वा संतानों को संदेय है वहाँ उसका संदाय उपर्युक्त उप विनियम (1) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

(ङ) इस उप विनियम में यथा उपबंधित के सिवाय कुटुंब पेंशन एक समय में कुटुंब के एक से अधिक सदस्यों को संदेय नहीं होगी ।

(6) जहाँ कोई स्त्री कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी न्यायिक रूप से पृथक जीवित पति या पत्नी पीछे छोड जाता है या जाती है और कोई संतान नहीं है वहाँ मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी ।

परंतु जहाँ न्यायिक पृथक्करण जारकर्म के आधार पर मंजूर किया जाता है और कर्मचारी की मृत्यु इस प्रकार के न्यायिक पृथक्करण के दौरान होती है , तो जारकर्म के लिए सिद्धदोष पाये गये उत्तरजीवी को कुटुंब पेंशन संदेय नहीं होगी ।

(7) (क) जहाँ किसी महिला या पुरुष कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने न्यायिक रूप से पृथक पति या विधवा छोड़ जाता या जाती है , जिसकी एक या अधिक संतान हैं वहाँ मृत कर्मचारी की बाबत संदेय कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी परंतु जबकि वह ऐसी संतान का संरक्षक हो ।

(ख) जहाँ उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसी संतान का संरक्षक नहीं रह गया है वहाँ कुटुंब पेंशन इस प्रकार की संतान के वास्तविक संरक्षक को संदेय होगी ।

(8) यदि कुटुंब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या अविवाहित पुत्री अठारह वर्ष की हो जाती है तो कुटुंब पेंशन का संदाय सीधे ऐसे पुत्र या अविवाहित पुत्री को किया जाएगा ।

(9) (क) यदि कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति पर उस कर्मचारी की हत्या करने का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया जाता है तो कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य या सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति के कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के दावे को उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियाँ समाप्त होने तक निलंबित रखा जाएगा ।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर संबद्ध व्यक्ति -

(i) कर्मचारी की हत्या करने या हत्या के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उसे कुटुंब पेंशन से विवर्जित कर दिया जाएगा और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों को संदेय होगी ।

(ii) कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बैंक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन संदेय होगी ।

(ग) उप खण्ड (ख) और (ख) के उपबंध किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी मृत्यु पर संदेय होनेवाली कुटुंब पेंशन पर भी लागू होंगे ।

अध्याय 8

संराशीकरण

41. संराशीकरण:-

(1) कोई कर्मचारी एकमुश्त संदाय के लिए अपनी पेंशन के एक तिहाई भिन्न से अनधिक भाग के संराशीकरण का हकदार होगा ।

परंतु इन विनियमों के विनियम 3 के उप विनियम (5) द्वारा शासित किसी कर्मचारी की बाबत ऐसे कर्मचारी का कुटुम्ब भी, कर्मचारी को अनुज्ञात पेंशन के एकमुश्त संदाय के लिए एक तिहाई भाग से अनधिक भिन्न के संराशीकरण का हकदार होगा ।

(2) कर्मचारी यह उपदर्शित करेगा कि वह पेंशन के किस भिन्नांश को संराशीकरण के लिए निर्देशित करेगा, संराशीकरण के लिए या तो वह पेंशन की एक तिहाई भाग अर्थात अधिकतम सीमा को उपदर्शित कर सकता है अथवा इससे कम सीमा तक अपनी इच्छानुसार संराशीकरण करा सकता है ।

(3) यदि संराशीकरण के लिए पेंशन का भिन्न एक रुपये का अंश तो संराशीकरण के प्रयोजन के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा ।

(4) किसी आवेदक को संदेय एकमुश्त रकम की संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी ।

सारणी

एक रुपया प्रति वर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण मूल्य

अगली जन्म तिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	अगली जन्म तिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
17	19.28	43	15.15
18	19.20	44	14.90
19	19.11	45	14.64
20	19.01	46	14.37
21	18.91	47	14.10
22	18.81	48	13.82
23	18.70	49	13.54
24	18.59	50	13.25
25	18.57	51	12.95
26	18.34	52	12.66
27	18.21	53	12.35
28	18.07	54	12.05
29	17.92	55	11.70
30	17.78	56	11.42
31	17.62	57	11.10
32	17.46	58	10.78
33	17.29	59	10.46
34	17.11	60	10.13
35	16.92	61	9.81
36	16.72	62	9.48
37	16.52	63	9.15
38	16.31	64	8.82
39	16.09	65	8.50
40	15.87	66	8.17
41	15.64	67	7.85
42	15.40	68	7.53
		69	7.22

IndiaCode

70	6.91	78	4.65
71	6.60	79	4.40
72	6.30	80	4.17
73	6.01	81	3.94
74	5.72	82	3.72
75	5.44	83	3.52
76	5.17	84	3.32
77	4.90	85	3.13

टिप्पणी :

(1) उपर्युक्त सारणी पेंशनभोगी की अगली जन्म तिथि पर उसकी आयु के संदर्भ में वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त पेंशन संराशीकरण मूल्य दर्शाती है । अट्ठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10.46 वर्ष का क्रय है, और यदि वह अपनी सेवा निवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी मासिक पेंशन से रुपये एक सौ संराशित करता है , तो उसे संदेय एकमुश्त राशि रु.100 X 10.46 X 12 = 12,552 होगी ।

(2) कोई कर्मचारी जिसने अपनी पेंशन के अनुज्ञात भाग का संराशीकरण किया है, संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संराशीकृत भाग की पेंशन को पुनः प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) कोई आवेदक जो अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन , समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन , अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है , इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के भिन्न का संराशीकरण कराने का हकदार होगा ।

(4) ऐसे पेंशनभागी की दशा में जो अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र है, कोई चिकित्सीय जाँच आवश्यक नहीं होगी, यदि आवेदक संराशीकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर देता है , तो यदि ऐसा पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के पश्चात पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है , तो उसकी अनुमति चिकित्सीय परीक्षा के अधीन होगी ।

स्पष्टीकरण - कोई आवेदक जो -

(i) इन विनियमों के विनियम 30 के अधीन अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, या

(ii) इन विनियमों के विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त करता है, या

(iii) बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का पात्र है

उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए पेंशन किसी भिन्न संराशीकरण के लिए पात्र तभी होगा जब बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे स्वस्थ घोषित कर दिया जाए ।

(5) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में -

(क) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, पेंशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के ठीक बाद की तारीख को आत्यंतिक होगा।

परंतु यह कि विनियम 29 उप विनियम (3) द्वारा शासित कर्मचारी अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए 3 मास की सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का संराशीकरण विनियम 29 उप विनियम (1) में दी गई सूचना की अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही आत्यंतिक होगा ।

(ख) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर या सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर यदि वह पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा संराशीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख को आत्यंतिक होगा ।

(ग) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र की तारीख को आत्यंतिक होगा ।

(घ) जो पहली नवंबर, 1993 के पहले सेवानिवृत्त हो चुका है और जो इन विनियमों के अधीन शासित होने के विकल्प का प्रयोग करता है, यदि विनियम (3) के उप विनियम (1) खण्ड के (ख) द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण पहली नवंबर , 1993 से आत्यंतिक होगा ।

(ङ) जो पहली नवंबर , 1993 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में था किंतु जो इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है , यदि विनियम 3 के उप विनियम (2) खण्ड के (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन आत्यंतिक होगा ।

(च) जो पहली नवंबर , 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होता है किंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा विनियम 3 के उप विनियम (5) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन आत्यंतिक होगा ।

(छ) जिसकी बाबत विनियम 30 के अधीन अशक्त पेंशन या विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता या विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अनुज्ञेय है , पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की तारीख को आत्यंतिक होगा ।

अध्याय 9
सामान्य शर्तें

42. पेंशन का भावी सदाचरण के अधीन होना :- इन विनियमों के अधीन पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसके निरंतर दिये जाने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि भविष्य में सदाचरण बना रहे ।

IndiaCode

43. पेंशन रोकना या प्रत्याहृत करना :- यदि कोई पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण कार्य करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो सक्षम प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहृत कर सकेगा ।

परन्तु यह कि जहाँ पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहृत कर लिया जाता है, वहाँ ऐसी पेंशन की रकम इतनी कम नहीं की जाएगी कि वह इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम हो जाए ।

44. न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि :- जहाँ कोई पेंशनभोगी किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, वहाँ कार्रवाई न्यायालय की ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित निर्णय को ध्यान में रखकर की जाएगी ।

45. गंभीर अवचार के लिए दोषी पेंशनभोगी :—किसी ऐसे मामले में जो विनियम 44 के अन्तर्गत नहीं आता है, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि पेंशनभोगी गंभीर अवचार का प्रथमदृष्टया दोषी है तो कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व, यथास्थिति, वह इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1976/1982 या समझौते में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

46. अनंतिम पेंशन :-

(1) यदि कोई ऐसा कर्मचारी या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ संस्थित की गई हैं या जहाँ विभागीय कार्यवाहियाँ चल रही हैं, वहाँ उसको दी जा सकनेवाली अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन की अनुमति उसे, कार्यवाहियों के समाप्त होने पर अनुज्ञात किये जानेवाले सेवानिवृत्त फ़ायदों के समायोजन के अधीन दी जाएगी किन्तु यदि अंतिम रूप से मंजूर पेंशन, अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया गया है या रोक लिया गया है तो कोई वसूली नहीं की जाएगी ।

(2) ऐसे मामलों में कर्मचारी कोउपदान का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाहियाँ समाप्त नहीं हो जाती हैं । उप दान का संदाय कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर कार्यवाहियों के निर्णय के अधिन किया जाएगा । किसी भी कर्मचारी से वसूल की जाने वाली धन राशि का समायोजन उसे संदेय उपादान की रकम से किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस अध्याय में -

क) "गंभीर अवचार पद " के अंतर्गत ऐसा अपराध आता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 (1923 का 19) के अधिन कोई अपराध अंतरग्रस्त है ।

(ख) "गंभीर अवचार पद" के अंतर्गत कोई गुप्त शासकीय संकेत को या संकेत शब्द या किसी रेखा चित्र, रेखांक, प्रतिमान , थीज़, टिप्पण, दस्तावेज़ या जानकारी को , जैसे की शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923(1923 का 19) की धारा 5 में वर्णित है , जो की बैंक के अधीन किसी पद को धारण करते समय प्राप्त हुई थी, संसूचित या प्रकट करना है जिस से कि जन साधारण के हितों पर या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(ग) " कपटपूर्ण पद " का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता , 1860 (1860 का 45)की धारा 25 के अधीन है ।

(घ) " आपराधिक न्यास भंग पद" का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता , 1860 (1860 का 45) की धारा 405 के अधीन दिया गया है ।

(ङ) "कूट रचना" पद का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता , 1860 (1860 का 45)की धारा 463 के अधीन है।

47. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन का संराशीकरण :-कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व संस्थित की गई हैं या जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं ऐसी कार्यवाहियों के विधाराधीन रहने के दौरान, यथास्थिति, अपनी पेंशन या अनंतिम पेंशन के किसी भाग का इन विनियमों के अधीन प्राधिकृत संराशीकरण का पात्र नहीं होगा ।

48. बैंक को पहुंचाई गई धन-संबंधी हानि की वसूली :

1. यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में किसी पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो पेंशन भोगी के कारण बैंक को हुई धन-संबंधी हानि के लिए सक्षम प्राधिकारी स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी पेंशन या उसके किसी भाग को रोक सकता है , प्रत्याहृत कर सकता है और पूरी रकम या उसके किसी भाग को पेंशन से वसूल करने का आदेश दे सकता है ।

परंतु यह कि किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जाएगा ।

परंतु यह और कि विभागीय कार्यवाहियां यदि कर्मचारी के सेवाकाल में संस्थित की गई हैं तो कर्मचारी के सेवा निवृत्त हो जाने पर वे इस विनियम के अधीन कार्यवाहियाँ समझी जाएँगी और इन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी द्वारा उनहें इस प्रकार चालू रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा मानो कर्मचारी सेवा में बना हुआ है ।

परंतु यह और भी कि यदि कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ कर्मचारी के सेवा काल में प्रारंभ नहीं की गई हैं तो किसी ऐसे वाद हेतुक या ऐसी घटना की बाबत जो कार्यवाही संस्थित किए जाने की तारीख से चार वर्ष पूर्व उदभूत हुआ हो या हुई हो, कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी ।

2. जहाँ सक्षम प्राधिकारी धन संबंधी हानि की वसूली पेंशन में से करने का आदेश देता है वहाँ ऐसी वसूली सामान्यतया सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन के एक तिहाई भाग से अधिक दर पर नहीं की जाएगी ।

परंतु जहाँ पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहृत किया जाता है तो वहाँ पेंशन भोगी की पेंशन राशि इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन राशि से कम नहीं होगी ।

49. बैंक को शोध्य राशियों की वसूली :- बैंक पेंशन के संराशी करण मूल्य या मासिक पेंशन या कुटुम्ब पेंशन से बैंक को देय आवास ऋण , अग्रिम, अनुज्ञाप्ति फीस, अन्य वसूलियों और कर्मचारी सहकारी प्रत्यय सोसाइटी का देय शोध्य राशियों की वसूली करने का हकदार होगा ।

50. सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियोजन :-

1. यदि कोई पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अधिकारी का पद धारण कर रहा था अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा ।

IndiaCode

2. बैंक, उप-विनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा पेंशनभोगी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे पेंशनभोगी को आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अधीन रहते हुए अनुज्ञा दे सकेगा या ऐसे कारणों के आधार पर अनुज्ञा देने से इनकार कर सकेगा जो आदेश में अभिलिखित किए जाएँगे ।

3. किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए विनियम (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने में, बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात :

क) ग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित नियोजन की प्रकृति और कर्मचारी का पूर्ववृत्त

ख) क्या उस नियोजन में जो वह ग्रहण करने का प्रस्ताव करता है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसका बैंक के साथ विरोध हो,

ग) क्या पेंशनभोगी की जब वह सेवा में था तब उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन वह नियोजन चाहता है ऐसा व्यवहार था कि जिससे यह संदेह करने के लिए यह युक्तियुक्त आधार बनता है कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोजक के प्रति पक्षपात किया था ,

घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्यों में बैंक के साथ संपर्क या संबंध अंतर्वलित है,

ङ) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे की बैंक के अधीन उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोजन को अनुचित फायदा देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है,

च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा प्रस्थापित परिलब्धियाँ , और

छ कोई अन्य सुसंगत बात

4. जहाँ उप-विनियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर बैंक आवेदित अनुज्ञा देने से इनकार नहीं करता है या आवेदक को इनकार किए जाने की संसूचना नहीं देता है वहाँ यह समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदित अनुज्ञा दे दी है ।

परंतु किसी ऐसी दशा में जहाँ आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी जाती है और बैंक के लिए उससे और स्पष्टीकरण या जानकारी माँगना आवश्यक हो जाता है , वहाँ 60 दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको आवेदक द्वारा त्रुटियाँ दूर की गई हैं या पूर्ण जानकारी दी गई है ।

5. जहाँ बैंक आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए देता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इनकार करता है वहाँ आवेदक उस आशय के बैंक के आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किसी ऐसी शर्त या इनकार किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और बैंक उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

परंतु इस उप-विनियम के अधीन ऐसी किसी शर्त को रद्द करनेवाले या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुज्ञा वाले किसी आदेश के भिन्न कोई आदेश, अभ्यावेदन करनेवाले पेंशनभोगी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

IndiaCode

6. यदि कोई पेंशनभोगी बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी सेवानिवृत्ति तारीख से दो वर्ष समाप्ति के पूर्व किसी समय कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुज्ञा उसे इस विनियम के अधीन दी गई है तो बैंक लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेख पद किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगा कि वह संपूर्ण पेंशन या उसके ऐसे भाग का ऐसी कालावधी के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए हकदार नहीं होगा ।

परंतु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

परंतु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन कोई आदेश करने में बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा :

i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियाँ

ii) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे प्राप्त होने वाली परिलब्धियाँ

iii) कोई अन्य संगत बात ।

7. बैंक द्वारा इस नियम के अधीन पारित किया गया प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा ।

8. इस विनियम में वाणिज्यिक नियोजन पद से -

1. व्यापारिक , वाणिज्यिक , औद्योगिक , वित्तीय या वृत्तिक कारोबार लगी हुई किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) सहकारी सोसाइटी फर्म या व्यष्टि के अधीन अभिकर्ता सहित किसी भी हैसियत में कोई नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी का निदेशकत्व (बैंकिंग कंपनी सहित) और ऐसी फर्म की भागीदारी भी है किन्तु ऐसी निगमित निकाय के अधीन नियोजन इसके अंतर्गत नहीं है जिसपर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का पूर्णतः या सारवान रूप से स्वामित्व या नियंत्रण है ।

2. स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में ऐसे मामलों में सलाहकार या परामर्श दाता के रूप में व्यवसाय स्थापित करना अभिप्रेत है जिनकी बाबत पेंशनभोगी -

(अ) के पास कोई वृत्तिक अर्हताएँ नहीं हों और जिन विषयों की बाबत व्यवसाय करना है या चलाना है उनका संबंध उसके पदीय ज्ञान या अनुभव से माना जा सकता है, या

(आ) के पास वृत्तिक अर्हताएँ हैं किन्तु जिन विषयों की बाबत ऐसा व्यवसाय करना है वे ऐसे हैं कि उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति के कारण उसके ग्राहकों को अनुचित फायदा होना अधिसंभाव्य हो , या

IndiaCode

(इ) को ऐसा काम करना होगा जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध स्थापित करना पड़ सकता हो ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए " सहकारी सोसाइटी के अधीन नियोजन " पद के अंतर्गत किसी पद का चाहे व निर्वाचित हो अन्यथा धारण करना आता है , जैसे -अध्यक्ष सभापति, प्रबंधक , सचिव, कोषपाल आदि चाहे उस सोसाइटी में वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ।

51. नामनिर्देशन :

(1) न्यास इन विनियमों द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा नामनिर्देशन करने के लिए अनुज्ञात करेगा जिसमें पेंशनिक फायदों की रकम संदेय होने या संदेय हो जाने के पश्चात संदत्त न किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में इन विनियमों की अधीन पेंशन संबंधी फायदों की रकम प्राप्त न करने का अधिर एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गया हो । ऐसे नामनिर्देशन ऐसे प्ररेपस सर्म किया जा सकेगा जो समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपविनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता है तो वह नाम निर्देशन में नामनिर्देशिती में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पश्चात संदेय संपूर्ण पेंशनिक फायदे की रकम आ जाए ।

(3) किसी कर्मचारी द्वारा किए गए नाम निर्देशन का, न्यास को बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सूचना देकर किसी भी समय उपांतरण किया जा सकता है या प्रति संहरण किया जा सकता है ।

(4) कोई नामनिर्देशन अथवा उसका प्रति संहरण या उपांतरण न्यास को प्राप्त होने की तारीख से उस विस्तार तक जिस तक यह विधि मान्य है, प्राभावि होगा ।

52. पेंशन संदेय होने की तारीख :

(1) ऐसे कर्मचारी के सेवाय जिसको विनियम 43 और विनियम 46 के उपबंध लागू होते हैं, कुटुंब पेंशन से भिन्न पेंशन उस तारीख से ठीक बात के तारीख से संदेय होगी जिसको कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है ।

(2) कुटुंब पेंशन कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से संदेय होगी ।

(3) पेंशन जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है उस दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके प्राप्तिकर्ता की मृत्यु हो जाती है ।

53. मुद्रा जिस में पेंशन देय होगी : इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशन केवल रुपये में और भारत में संदेय होगी ।

54. पेंशन संदाय की रीति : मासिक दर पर नियत की गई पेंशन प्रतिमास आगामी मास के पहले दिन को या उसके पश्चात संदेय होगी ।

55. अनुदेश जारी करने की शक्ति : बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समय समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे ।

56. अवशिष्ट उपबंध : संदेह की स्थिति में , इन विनियमों को लागू करने के मामले में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम ,1981 के तत्समान उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा किन्तु ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो बैंक , समय समय पर, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से अवधारित करे ।

ह०/

पी० एन० रतन, महा प्रबंधक

परिशिष्ट 1

(विनियम 35 देखिए)

पहली जनवरी 1986 और 31 अक्तूबर , 1987 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अनिरिक्त पेंशन के अद्यतल करने का सूत्र निम्नलिखित रूप में होगा :

अ.	(1)	मूल पेंशन में निम्नलिखित राशि की वृद्धि की जाएगी :	
	(क)	पेंशन के लिए गणना किए जाने योग्य औसत परिलसब्धियों के प्रथम रु 1000 का 50 प्रतिशत	रु.
	(ख)	अगले रु. 500 का 45 प्रतिशत	रु.....
	(ग)	पेंशन के लिए गणना किए जाने योग्य रु 1500 से अधिक औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत (क+ख+ग) का योग	रु.....(अ)
आ.		सेवानिवृत्ति के पहले सेवा के अंतिम दस मासों की ओसत पससरिलब्धियों का 50 प्रतिशत	रु .. . (आ)
इ.		उपर्युक्त 1 पर संगणित मूल पेंशन पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 600 सूचकांक पर महंगाई राहत	रु.....(इ)
ई.		कुल बढ़ी हुई मूल पेंशन = (आ)+ (इ) x अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष)/33	रु...(ई)

IndiaCode

उ. तारीख 01.11.1993 को मूल पेंशन रु....(उ)
(अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित)

2. अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि के लिए भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना में लिए जाने वाले विशेष भत्तों की रकम, यथा स्थिति, सेवा विनियम या समझौतों के अनुसार भविष्य निधि की श्रेणी में आने वाले विशेष भत्तों की मात्रा के संदर्भ में बढ़ाई जाएगी ।

सारणी

1.1.1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर निकाली गयी महंगाई राहत की दरें ।

(क) अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी ऊपर (1) पर परिकलित पेंशन का 80.40 प्रतिशत

(ख) रु.756/- प्रतिमास तक पेंशन आहरित करनेवाले लिपिकीय स्टाफ के कर्मचारी ऊपर (1) पर परिकलित पेंशन का 67 प्रतिशत

(ग) रु.757/- प्रतिमास और उससे अधिक पेंशन आहरित करनेवाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित महँगाई राहत के पात्र होंगे ।

प्रतिमाह ली जानेवाली मूल पेंशन की रकम रु.	अनुज्ञेय महंगाई राहत की रकम रु.
757 - 796	508.00
797 - 804	534.00
805 - 824	540.00
825 - 844	553.00
845 - 864	567.00
865 - 884	580.00
885 - 904	593.00
905 - 924	607.00
925 - 944	620.00
945 - 964	634.00
965 - 984	647.00
985 - 1004	660.00
1005 - 1024	674.00
1025 - 1044	687.00
1045 - 1064	701.00
1065 - 1084	714.00
1065 और उससे अधिक	727.00

IndiaCode

(घ) अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित रीति से महँगाई राहत के लिए पात्र होंगे ः

(i) रु.765/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	उपर्युक्त अ (1) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का 66 प्रतिशत, किंतु अधिकतम राशि रु.500 होगी ।
(ii) रु.766/- से रु.1165/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पानेवालों के लिए	रु.500/-
(iii) रु.1165/- प्रतिमास या उससे अधिक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	उपर्युक्त अ(1) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का 42.90 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम रु 715 होगी ।

परिशिष्ट 2

(विनियम 37 देखिए)

मूल पेंशन पर महँगाई राहत निम्नलिखित रूप में होगी :

(1) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो 1 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात किंतु 1 नवंबर 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं 1960 = 100 शृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोगता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 600 अंकों को ऊपर प्रत्येक अंक के लिए महँगाई राहत , यथास्थिति , प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी । ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महँगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी :

प्रति मास मूल पेंशन का मान (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महँगाई राहत की दर (2)
(i) रु.1250 तक	0.67 प्रतिशत
(ii) रु.1251 से रु.2000	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु.1250 से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत
(iii) रु.2001 से रु.2130	रु.1250 का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु.2000 और रु.1250 के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत धन (+) रु.2000 से अधिक मूल पेंशन 0.33 प्रतिशत
(iv) रु.2130 से अधिक	रु. 1250 का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु.2000 और रु.1250 के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत धन (+) रु.2130 और रु.2000 के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत जमा (+) रु.2130 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत

(2) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो पहली नवंबर, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं, 1960 = 100 शृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 1148 अंकों से

ऊपर प्रत्येक चार अंक की महँगाई राहत यथास्थिति , प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी । ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महँगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी :

प्रति मास मूल पेंशन का मान (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महँगाई राहत की दर (2)
(i) रु.2400 तक	0.35 प्रतिशत
(ii) रु.2401 से रु.3850	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु.2400 से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत
(iii) रु.3851 से रु.4100	रु.2400 का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु.3850 और रु.2400 के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत धन (+) रु.3850 से अधिक मूल पेंशन 0.17 प्रतिशत
(iv) रु.4100 से अधिक	रु. 2400 का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु.3850 और रु.2400 के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत धन (+) रु.4100 और रु.3850 के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत जमा (+) रु.4100 से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत

(3) महँगाई राहत पहली फ़रवरी से प्रारंभ होनेवाली और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पूर्व वर्ष के अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर माह के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत के आधार पर तथा पहली अगस्त से प्रारंभ होनेवाली और 31 जनवरी को समाप्त होनेवाली छमाही के लिए उसी वर्ष के अप्रैल , मई और जून मास के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत आधार पर संदेय होगी ।

(4) कुटुंब पेंशन, अशक्त पेंशन और अनुकंपा भत्ते के मामले में महँगाई राहत उपर्युक्त दरों के अनुसार संदेय होगी ।

(5) महँगाई राहत संराशीकरण के पश्चात भी पूर्ण मूल पेंशन पर अनुज्ञात होगी ।

(6) अतिरिक्त पेंशन महँगाई राहत संदेय नहीं है ।

परिशिष्ट-3

(विनियम 39 देखिए)

कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरें निम्नलिखित होंगी :

(क) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न 1.11.1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, अंशकालिक कर्मचारियों की बाबत

प्रतिमास वेतन (1)	कुटुम्ब पेंशन की मासिक रकम (2)
1500 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 375 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा ।
1501 रु.से 3000 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+)ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 450 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा ।
3000 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिउ गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 600 रु. प्रतिमास से कम और 1250 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा ।

(ख) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न 1.11.1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों की बाबत :

प्रतिमास वेतन (1)	कुटुम्ब पेंशन की मासिक रकम (2)
2870 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 720 रु. प्रतिमास होगा ।
2871 रु.से 5740 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+)ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम रु. 860 प्रतिमास होगा ।
5740 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी । मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम रु. 1150 प्रतिमास और अधिकतम रु. 2400 प्रतिमास होगा ।

टिप्पणी :

1. महंगाई राहत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन पर संदेय नहीं है ।

2. यथापूर्वोक्त कुटुम्ब पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए " वेतन मान " विनियम 2 के उप खंड (ध) में यथा परिभाषित " वेतन " और विनियम 33 के उप-विनियम (3) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित भत्तों का योग होगा ।

3. अंशकालिक कर्मचारी के मामले में कुटुम्ब पेंशन की न्यूनतम राशि और कुटुम्ब पेंशन की अधिकतम राशि कर्मचारी को मिलनेवाले मज़दूरी मान की दर के अनुपात में होगी ।

परिशिष्ट 4

(विनियम 27 देखिए)

मजदूरी मान पर स्थायी अंश-कालिक आधार पर की गई वास्तविक सेवा	पेंशन की राशि के परिकलन के लिए स्थाई अंशकालिक आधार पर की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तत्स्थानी अर्हक सेवा की अवधि
(1)	(2)
छह घंटे या उससे अधिक किंतु 13 घंटे से कम	वर्ष का एक तिहाई
13 घंटे से अधिक किन्तु 19 घंटे से कम	वर्ष का आधा
19 घंटे से अधिक किन्तु 29 घंटे तक	वर्ष का तीन चौथाई
29 घंट से अधिक	एक वर्ष

ह०/

पी० एन० रतन, महा प्रबंधक

ALLAHABAD BANK
HEAD OFFICE

NOTIFICATION
Calcutta, the 29th September, 1995

NO. ADMN/5/3889.—In exercise of the powers conferred by Clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER–I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement:—

(1) These regulations may be called **"ALLAHABAD BANK (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS, 1995".**

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, these regulations shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :— In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(a) **"Act"** means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(b) **"Actuary"** shall have the meaning assigned to it in clause (1) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(c) **"Appendix"** means, an Appendix annexed to these regulations;

(d) **"Average Emoluments"** means the average of the pay drawn by an employee during the last ten months of his service in the Bank;

(e) **"Bank"** means ALLAHABAD BANK mentioned under column 2 of THE FIRST SCHEDULE of the Act;

(f) **"Board"** means the Board of Directors of the Bank;

(g) **"Child"** means a child of the employee, who, if a son, is under twenty-five years of age and if a daughter, is unmarried and is under twenty-five years of age and the expression "children" shall be construed accordingly;

(h) **"Competent Authority"** means the authority appointed by the Board for the purposes of these regulations;

(i) **"Consolidated Wages"** means lump sum amount payable to part-time employee belonging to the subordinate staff who is not drawing scale wages;

(j) **"Contribution"** means any sum credited by the Bank on behalf of employee to the Fund, but shall not include any sum credited as interest;

(k) **"Date of retirement"** means the last date of the month in which an employee attains the age of superannuation or the date on which he is retired by the Bank or the date on which the employee voluntarily retires or the date on which the officer is deemed to have retired;

(l) **"Deemed to have retired"** means cessation from service of the Bank on appointment by Central Government as a whole-time Director or Managing Director or Chairman in the Bank or in any other Bank specified in column 2 of the FIRST SCHEDULE of the Act or Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or in any public financial institution or State Bank of India established under State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(m) **"Discipline and Appeal Regulations"** means the Allahabad Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976/1982 made under section 19 of the Act;

(n) **"Employee"** means any person employed in the service of the Bank on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages and who opts and is governed by these regulations, but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis or on consolidated wages;

(o) **"Family"** in relation to an employee means:

(a) wife in the case of a male employee or husband in the case of a female employee;

(b) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty or committing adultery;

(c) son who has not attained the age of twenty-five years and unmarried daughter who has not attained the age of twenty-five years, including such son or daughter adopted legally;

(p) **"Financial year"** means a year commencing on the 1st day of April;

(q) **"Fund"** means the "Allahabad Bank (Employees') Pension Fund" constituted under regulation 5;

(r) **"Notified Date"** means the date on which these regulations are published in the Official Gazette;

(s) **"Pay"** includes,—

(a) in relation to an employee who has either retired or died on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1993,—

(i) the basic pay including stagnation increments, if any, and

(ii) all allowances counted for the purposes of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance;

(b) in relation to an employee who retires or dies while in service on or after the 1st day of November, 1993,—

(i) the basic pay including stagnation increments, if any; and

(ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and

(iii) increment component of Fixed Personal Allowance; and

(iv) dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960=100;

(t) **"Pension"** includes the basic pension and additional pension referred to in Chapter VI of these Regulations;

(u) **"Pensioner"** means an employee eligible for pension under these Regulations;

(v) **"Public financial institution"** means a financial institution regarded as a public financial institution for the purposes of section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(w) **"Qualifying service"** means the service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pension under these regulations;

(x) **"Retired"** includes deemed to have retired under clause (1);

(y) **"Retirement"** means cessation from Bank's service,—

(a) on attaining the age of superannuation specified in Service Regulations or Settlements;

(b) on voluntary retirement in accordance with provisions contained in Regulation 29 of these regulations;

(c) on premature retirement by the Bank before attaining the age of superannuation specified in Service Regulations or Settlements;

(z) **"Scale wages"** in relation to part-time employees means the Basic Pay, City Compensatory Allowance, Special Allowances, House Rent Allowance and other allowances, if any, and dearness allowance payable from time to time under the settlement;

(za) **"Service Regulations"** means Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979/1982 made under Section 19 of the Act;

(zb) **"Settlement"** means memorandum of settlement agreed between the Management of the Bank represented by the association authorised by them and workmen of such Bank represented by trade unions authorised by them;

(zc) **"Trust"** means the trust of the Allahabad Bank (Employees') Pension Fund constituted under sub-regulation (1) of regulation 5;

(zd) **"Trustee"** mean the trustees of the Allahabad Bank (Employees') Pension Fund constituted under regulation 5;

(ze) **"Trustee of the Provident Fund"** means the trustees of the Provident Fund of the Bank;

(zf) all other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act or the Service Regulations or Settlements shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act, the Service Regulations or Settlement, as the case may be.

CHAPTER II

APPLICATION AND ELIGIBILITY

3. Application.-

These regulations shall apply to employees who,-

(1) (a) were in the service of the Bank on or after the 1st day of January, 1986 but had retired before the 1st day of November, 1993; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days speicified in clause (b) the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund including interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the bank; or

(2) (a) have retired on or after the 1st day of November, 1993 but before the notified date; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (b), the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of the refund of the aforesaid amount to the Bank; or

(3) (a) are in the service of the Bank before the notified date and continue to be in the service of the Bank on or after the notified date; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) authorise the trust of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contribution of the Bank alongwith the interest accrued thereon to the credit of the Fund constituted for the purpose under Regulation 5; or

(4) join the service of the Bank on or after the notified date; or

(5) were in the service of the Bank during any time on or after the 1st day of November, 1993 and had died after retirement but before the notified date, their family shall be entitled for the amount of pension payable to them from the date on which they would have been entitled to pension under these regulations, had they been alive till the date on which they died, if the family of the deceased -

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(b) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a) above the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank; or

(6) joined the service of the bank on or after the 1st day of November, 1993 but who have died while in the service of the Bank before the notified date, their family shall be entitled to the family pension under these regulations;

Provided that the family of such a deceased employee refunds within one hundred and eighty days from the notified date the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund, if any, and interest accrued thereon together with further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank;

Provided further that the family of such a deceased employee shall apply in writing for grant of family pension; or

(7) were in the service of the bank during any time on or after the 1st day of January, 1986 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1993 or had retired on or before the 31st day of October, 1993 but died before the notified date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension as the case may be under these regulations, if the family of the deceased, -

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(b) refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a) above the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum fromthe date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank; or

(8) joined the service of the bank on or before the 31st day of October, 1993 and who died while in service on or after the 1st day of November, 1993 but before the notified date in which case their families shall be entitled to family pension under these regulations if the family of the deceased employee,—

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become a member of the Fund; and

(b) refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a) above the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund, including interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account of the employee till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank;

(9) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2), (3), (5) and (8) an option exercised before the notified date by an employee or the family of a deceased employee in pursuance of the settlement shall be deemed to be an option for the purpose of this Chapter if such an employee or the family of the deceased employee refund within sixty days from the notified date, the amount of the Bank's contribution to the Provident Fund including interest accrued thereon together with a further simple interest in accordance with the provisions of this Chapter and in case employer's contribution of Provident Fund has not been received from Provident Fund Trust, has authorised or authorises within sixty days from the notified date, the trustees of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contributions of the Bank to the Provident Fund including interest accrued thereon in accordance with the provisions of this Chapter to the credit of the Fund constituted for this purpose under Regulation 5.

4. Option to subscribe to the Provident Fund. -

(1) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (4) of Regulation 3, an employee who joins the service of the Bank on or after the notified date at the age of thirty-five years or more, may, within a period of ninety days from the date of his appointment, elect, to forego his right to pension, whereupon these regulations shall not apply to him.

(2) The option referred to in sub-regulation (1) and Regulation 3, once exercised, shall be final.

CHAPTER III

THE FUND

5. Constitution of the Fund. -

(1) The Bank shall constitute a Fund to be called the "Allahabad Bank (Employees') Pension Fund" under an irrevocable trust within one hundred twenty days from the notified date.

(2) The Fund shall have for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension in accordance with these regulations to the employee or his family.

(3) The Bank shall be a contributor to the Fund and shall ensure that sufficient sums are placed in it to enable the trustees to make due payments to beneficiaries under these regulations.

6. Liability of the Provident Fund Trust. -

The Provident Fund trust shall, immediately after the constitution of the Fund, transfer to the Allahabad Bank (Employees') Pension Fund, the accumulated balance of the contribution of the Bank to the Provident Fund and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of every employee.

7. Composition of the Fund. -

The Fund shall consist of the following, namely, -

(a) the contribution by the Bank at the rate of ten per cent per month of the pay of the employee;

(b) the accumulated contributions of the Bank to the Provident Fund and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of the employees;

(c) the amount consisting of contributions of the Bank alongwith interest refunded by the employees who had retired before the notified date but who opt for pension in accordance with the provisions contained in these Regulations;

(d) the investment in annuities or securities purchased out of the moneys of the Fund and interest thereon;

(e) amount of any capital gains arising from the capital assets of the Fund;

(f) the additional annual contribution made by the Bank in accordance with the provisions contained in Regulation 11 of these Regulations;

(g) any income from investments of the amounts credited to the fund;

(h) the amount consisting of contribution of the Bank alongwith interest refunded by the family of the deceased employee.

IndiaCode

8. Board of Trustees. -

(1) The Board of trustees shall consist of such number of persons not less than three and not more than nine, as may be determined by the Board, to be appointed by the Bank.

(2) The power to appoint the trustees shall be vested with the Bank and all such appointments shall be made in writing.

(3) The Bank shall nominate one of the trustees to be the Chairman of the Board of Trustees. The Bank shall also nominate a trustee to be an alternate Chairman who shall act as Chairman in the absence of the Chairman.

9. Trustees to carry out the directions of the Bank. -

The trustees shall comply with all such directions as may be given by the Bank for the proper functioning of the Fund.

10. Books of accounts of the Fund. -

(1) The accounts of the Fund shall contain the particulars of all financial transactions relating to the fund in such form as may be specified by the Bank.

Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year, the trust shall prepare a financial statement of the trust indicating therein the general

account of assets and liabilities of the trust and forward a copy of the same to the Bank.

(3) The accounts of the fund shall be audited in accordance with the provisions of Section 10 of the Act.

11. Actuarial investigation of the Fund. -

The Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition of the Fund every financial year,on the 31st day of March, and make such additional annual contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these regulations:

Provided that the Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition of the Fund, as on the 31st day of March immediately following the financial year in which the Fund is constituted.

12. Investment of the Fund. -

All moneys contributed to the Fund or received or accruing after that date by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a current account with any scheduled bank or utilised in accordance with the provisions of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882).

13. Payment out of the fund :-

The payment of benefits by the trust shall be administered for grant of pensionary benefits to the employees of the Bank or the family pension to the familes of the deceased employees of the Bank.

CHAPTER IV

QUALIFYING SERVICE

14. Qualifying service.-

Subject to the other conditions contained in these regulations, an employee who has rendered a minimum of ten years of service in the Bank on the date of his retirement or the date on which he is deemed to have retired shall qualify for pension.

15. Commencement of qualifying service.-

Subject to the provisions contained in these regulations, qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed on a permanent basis.

16. Counting of service on probation. -

Service on probation against a post in the Bank if followed by confirmation in the same or any other post shall qualify.

17. Counting of periods spent on leave. -

All leave during service in the Bank for which leave salary is payable shall count as qualifying service :

Provided that extraordinary leave on loss of pay shall not count as qualifying service except when the sanctioning authority has directed that such leave not exceeding twelve months during the entire service, may count as service for all purposes including pension.

18. Broken period of service of less than one year.-

If the period of service of an employee includes broken period of service less than one year, then if such broken period is more than six months, it shall be treated as one year and if such broken period is six months or less, it shall be ignored.

indiaCode

19. Counting of period spent on training. -

Period spent by an employee on training in the Bank immediately before his appointment shall count as qualifying service.

20. Counting of past service in the erstwhile bank. -

In the case of an employee who is permanently transferrred to a service in the Bank from any other bank on merger, amalgamation of any other bank with the Bank to which these regulations apply, the continuous service rendered by such an employee in any other bank on permanent basis, if any, followed without interruption, by permanent appointment, or the continuous service rendered under that bank in a permanent capacity, as the case may be, shall qualify :

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to any such employee who is appointed on contract basis or on daily wage basis or on consolidated wages.

21. Period of suspension. -

Period of suspension of an employee pending inquiry shall count for qualifying service where, on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or the suspension

is held to be wholly unjustified, and in other cases, the period of suspension shall not count as qualifying service unless the Competent Authority passing the orders under the Service Regulations or Discipline and Appeal Regulations or Settlements governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as such authority may declare.

22. Forfeiture of service.-

(1) Resignation or dismissal or removal or termination of an employee from the service of the Bank shall entail forfeiture of his entire past service and consequently shall not qualify for pensionary benefits;

(2) An interruption in the service of a Bank employee entails forfeiture of his past service, except in the following cases, namely :-

(a) authorised leave of absence;

(b) suspension,where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the Bank employee dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of compulsory retirement while under suspension;

(c) transfer to non-qualifying service in an establishment under the control of the Government or Bank if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest;

(d) joining time while on transfer from one post to another.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the appointing authority may, by order,commute retrospectively the periods of absence without leave as extraordinary leave.

(4) (a) In the absence of a specific indication to the contrary in the service record, an interruption between two spells of service rendered by a bank employee shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service;

(b) Nothing in clause (a) shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service or for participation in a strike :

IndiaCode

Provided that before making an entry in the service record of the Bank employee regarding forefeiture of past service because of his participation in strike, an opportunity of representation may be given to such bank employees.

23. Period of deputation to foreign service.-

An employee deputed on foreign service to the United Nations or any other foreign body or organisation may at his option,-

(a) pay pension contribution in respect of his foreign service and count such service as qualifying service under these regulations; or

(b) avail of the retirement benefits admissible under the rules of the foreign employer and not count such service as qualifying service under these regulations:

Provided that where an employee opts for clause (b), retirement benefits shall be payable to him in India in rupees from such date and in such manner as the Bank may, by order specify.

IndiaCode

24. Military service.-

An employee who has rendered military service before appointment in the Bank shall continue to draw the military pension, if any, and military service rendered by the employee shall not count as qualifying service for pension

25. Period of deputation to an organisation in India.-

Period of deputation of an employee to another organisation in India will count as qualifying service:

Provided the organisation to which he is deputed or the employee pays the pensionary contributions at the rates specified in sub-regulation (a) of Regulation 7 of these regulations or at the rates specified by the Bank at the time of deputation, whichever is higher to the Bank.

26. Addition to qualifying service in special circumstances.-

An employee shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension) the actual period not exceeding one

fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded the upper age limit specified by the Bank for direct recruitment or a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the employee is appointed is one -

(a) for which post-graduate research,or specialist qualification or experience in scientific, technological, or professional fields, is essential; and

(b) to which candidates of age exceeding the upper age limit specified for direct recruitment are normally recruited;

(c) for which the candidate was given age relaxation over and above the maximum age limit fixed by the Bank on account of his possessing higher qualifications or experience ;

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time he quits the service in the Bank is not less than ten years;

Provided further that this concession shall be admissible if the recruitment rules in respect of the said service or post contain specific provision that the service or post is one which carries benefit of this regulation;

Provided also that the recruitment rules in respect of any service or post which carries the benefit of this regulation shall be made with the approval of the Central Government.

27. Counting of service rendered on permanent part-time basis.-

(1) In case of an employee who was employed on scale wages and on a permanent part-time basis in the service of Bank and was contributing to the Provident Fund, such service rendered by him on a permanent part-time basis from the date he became a member of the Provident Fund shall be counted as qualifying service.

(2) The length of qualifying service of the employee referred to in sub-regulation (1) for the purpose of calculating the amount of pension shall be determined in accordance with Appendix IV.

IndiaCode

CHAPTER V

CLASSES OF PENSION

28. Superannuation Pension.-

Superannuation pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation specified in the Service Regulations or Settlements.

29. Pension on Voluntary Retirement.-

(1) On or after the 1st day of November, 1993, at any time after an employee has completed twenty years of qualifying service he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority retire from service;

Provided that this sub-regulation shall not apply to an employee who is on deputation or on study leave abroad unless after having been transferred or having returned to India he has resumed charge of the post in India and has served for a period of not less than one year;

Provided further that this sub-regulation shall not apply to an employee who seeks retirement from service for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking or company or institution or body, whether incorporated or not to which he is on deputation at the time of seeking voluntary retirement;

Provided that this sub-regulation shall not apply to an employee who is deemed to have retired in accordance with clause (1) of Regulation 2.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-regulation (1) shall require acceptance by the appointing authority;

provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3) (a) An employee referred to in sub-regulation (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefor;

IndiaCode

(b) On receipt of a request under clause (a), the appointing authority may, subject to the provisions of sub-regulation (2), consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months.

(4) An employee, who has elected to retire under this regulation and has given necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for such withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.

(5) The qualifying service of an employee retiring voluntarily under this regulation shall be increased by a period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by such employee shall not in any case exceed thirty-three years and it does not take him beyond the date of superannuation.

(6) The pension of an employee retiring under this regulation shall be based on the average emoluments as defined under clause (d) of Regulation 2 of these Regulations and the increase, not exceeding five years in his qualifying service, shall not entitle him to any notional fixation of pay for the purpose of calculating his pension.

30 Invalid Pension.-

(1) Invalid pension may be granted to an employee who, -

(a) has rendered minimum ten years of service; and

(b) retires from the service on or after the 1st day of November, 1993, on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service.

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from a medical officer approved by the Bank.

(3) Where the Medical Officer approved by the Bank has declared the employee fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he should, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(4) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the Competent Authority is aware of the intention of the applicant to appear before the medical officer approved by the Bank.

(5) The medical officer approved by the Bank shall also be supplied by the Competent Authority in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant.

31. Compassionate Allowance.-

(1) An employee, who is dismissed or removed or terminated from service, shall forefeit his pension:

Provided that the authority higher than the authority competent to dismiss or remove or terminate him from service may, if -

(i) such dismissal, removal, or termination is on or after the 1st day of November, 1993; and

(ii) the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of the pension which would have been admissible to him on the basis of the qualifying service rendered upto the date of his dismissal, removal, or termination.

(2) The Compassionate Allowance sanctioned under the proviso to sub-regulation (1) shall not be less than the amount of minimum pension payable under Regulation 36 of these regulations.

32. Premature Retirement Pension.-

Premature Retirement Pension may be granted to an employee who, -

(a) has rendered minimum ten years of service;

(b) retires from service on account of orders of the Bank to retire prematurely in the public interest or for any other reason specified in Service Regulations or Settlement, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation on that date.

IndiaCode

33. Compulsory Retirement Pension.-

(1) An employee compulsorily retired from service as a penalty on or after 1st day of November, 1993 in terms of Discipline and Appeal Regulations or Settlement by the authority higher than the authority competent to impose such penalty may be granted pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement if otherwise he was entitled to such pension on superannuation on that date.

(2) whenever in the case of a bank employee the Competent Authority passes an order (whether original, appeallate or in exercise of power of review) awarding a pension less than the full compensation pension admissible under these regulations, the Board of Directors shall be consulted before such order is passed.

(3) A pension granted or awarded under sub-regulation(1) or, as the case may be, under sub-regulation (2), shall not be less than the amount of rupees three hundred and seventy five per mensem.

34. Payment of pension or family pension in respect of employees who retired or died between 1.1.1986 to 31.10.1993.-

(1) Employees who have retired from the service of the Bank between the 1st day of January, 1986 and the 31st day of October, 1993 shall be eligible for pension with effect from the 1st day of November, 1993.

(2) The family of a deceased employee governed by the provisions contained in sub-regulation (7) of Regulation 3 shall be eligible for family pension with effect from the 1st day of November, 1993.

CHAPTER VI

RATE OF PENSION

35. Amount of Pension.-

(1) In respect of employees who retired between the 1st day of January, 1986 but before the 31st day of October, 1987, basic pension and additional pension will be updated as per the formula given in Appendix- I.

(2) In the case of an employee retiring in accordance with the provisions of the Service Regulations or Settlement after completing a qualifying service of not less than thirty three years the amount of basic pension shall be calculated at fifty per cent of the average emoluments.

(3) (a) Additional pension shall be fifty per cent of the average amount of the allowances drawn by an employee during the last ten months of his service;

(b) no dearness relief shall be paid on the amount of additional pension.

Explanation:- For the purpose of this sub-regulation "allowances"means allowances which are admissible to the extent counted for making contributions to the Provident Fund.

(4) Pension as computed being aggregate of sub-regulation (2) and (3) above shall be subject to the minimum pension as specified in these regulatons.

(5) An employee who has commuted the admissible portion of his pension as per the provisions of Regulation 41 of these Regulations shall receive only the balance of pension, monthly.

(6) (a) In the case of an employee retiring before completing a qualifying service of thirty-three years, but after completing a qualifying service of ten years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension admissible under sub-regulations (2) and (3) and in no case the amount of pension shall be less than the amount of minimum pension specified in these regulations.

(b) Notwithstanding anything contained in these regulations, the amount of invalid pension shall not be less than the ordinary rate of family pension which would have been payable to his family in the event of his death while in service.

(7) The amount of pension finally determined under this regulation shall be expressed in whole rupee and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee.

36. Minimum pension.-

The amount of minimum pension shall be.-

(a) rupees three hundred and seventy five per month in respect of an employee other than a part-time employee who had retired before the 1st day of November, 1993;

(b) rupees one hundred and twenty five per month in respect of a part-time employee who had retired before the 1st day of November, 1993;

(c) rupees seven hundred and twenty per month in respect of an employee other than part-time employee who retires on or after the 1st day of November, 1993; and

(d) rupees two hundred and forty per month in respect of a part-time employee who retires on or after the 1st day of November, 1993.

37. Dearness Relief.-

(1) Dearness relief shall be granted on basic pension or family pension or invalid pension or on compassionate allowance in accordance with the rates specified in Appendix II.

(2) Dearness relief shall be allowed on full basic pension even after commutation.

38. Determination of the period of ten months for average emoluments.-

(1) The period of the preceeding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date of retirement.

(2) In the case of voluntary retirement or premature retirement, the period of the preceeding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee voluntarily retires or is premature retired by the Bank.

(3) In the case of dismissal or removal or compulsory retirement or termination of service, the period of the preceeding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee is dismissed or removed or compulsorily retired or terminated by the Bank.

(4) If during the last ten months of the service, an employee had been absent from duty on extraordinary leave on loss of pay or had been under suspension and the period whereof does not count as service, the aforesaid period of extraordinary leave or suspension shall not be taken into account in the calculation of the average emoluments and an equal period before the ten months shall be included.

IndiaCode

CHAPTER VII

FAMILY PENSION

39. Family Pension.-

(1) Without prejudice to the provisions contained in these regulations where an employee dies-

(a) after completion of one year of continuous service; or

(b) before completion of one year of continuous service provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by a medical officer approved by the Bank and declared fit for employment in the Bank; or

(c) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance;

the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Appendix III.

(2) The amount of family pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee;

Provided that in no case a family pension in excess of the maximum prescribed under these regulations shall be allowed.

(3) (a) (i) Where an employee who is not governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service , the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or twice the family pension admissible under sub - regulation (1), whichever is less, and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty five years had he survived, whichever is less;

IndiaCode

(ii) In the event of death of an employee after retirement, the family pension as determined under clause (a) or clause (b) of this sub-regulation shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the retired deceased employee would have attained the age of sixty five years had he survived, whichever is less;

(b) (i) Where an employee, who is governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or one and half times the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less;

(ii) The family pension so determined under sub-clause (i) shall be payable for the period mentioned in clause (a);

(c) after the expiry of the period referred to in clause (a), the family, in receipt of family pension under that clause or clause (b) shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-regulation (i).

(4) Notwithstanding anything contained in these regulations where the family of a deceased employee opts for pension in accordance with sub-regulation (5) of Regulation 3 or is governed by the provisions contained in sub-regulation (6) or (7) or (8) of Regulation 3, such family of the deceased shall be eligible for family pension under these regulations.

40. Period of payment of family pension.-

(1) The period for which family pension is payable shall be,

(a) in the case of a widow or a widower, upto the date of death or remarriage, whichever is earlier;

(b) in the case of a son, until he attains the age of twenty-five years; and

(c) in the case of an unmarried daughter, until she attains the age of twenty-five years or until she gets married, whichever is earlier :

Provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the

age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :-

(i) if such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (e) of sub-regulation (1) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) If there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible:

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner set out in clause(f)of sub-regulation (1);

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the Competent Authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years a certificate from a medical officer approved by the Bank to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

IndiaCode

Explanation : The grant of family pension to disabled children beyond the age limit specified in this regulation is subject to the following conditions, namely:-

(i) a daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married;

(ii) the family pension payable to such son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood. In such cases it shall be the duty of the guardian or son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that-

(A) he or she has not started earning his or her livelihood;

(B) in case of daughter that she has not yet married;

(d) if a deceased employee or a pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child;

(e) family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them shall not be eligible for family pension unless the elder next above him or her has become ineligible for the grant of family pension:

Provided that where the family pension is payable to twin children it shall be paid in the manner set out in clause (f) of the sub-regulation (1);

(f) where the family pension is payable to twin children it shall be paid to such children in equal shares;

Provided that where one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and where both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be.

(2) Where a deceased employee or a pensioner leaves behind more children than one, the eldest eligible child shall be entitled to family pension for the period

mentioned in clauses (b) or (c) of sub-regulation (1), as the case may be, and after the expiry of that period the next child shall become eligible for the grant of family pension.

(3) Where family pension is granted under this regulation to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(4) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits specified below, namely, –

(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and sub clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of Regulation 39, the amount of both pensions shall be limited to two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1993 and four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November, 1993;

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub clause (i) of clause (a) or sub-clause (i) of clause (b) of sub - regulation (3) of Regulation 39 and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of Regulation 39 becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to two thousand five hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1993 and four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November, 1993;

(c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub-regulation (1) of Regulation 39 the amount of the two pensions shall be limited to one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1993 and two thousand four hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November, 1993.

(5) (a) where family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares;

(b) on the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child;

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares,or if there is only one such other widow, in full, to her;

(c) where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee or pensioner:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child;

(d) where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in the manner specified in clause (f) of sub-regulation (1) above;

(e) except as provided in this sub-regulation the family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time.

(6) Where a female employee or male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow and no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving;

Provided that where in a case the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the employee takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

IndiaCode

(7) (a) where a female employee or male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving person provided he or she is the guardian of such child or children;

(b) where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

(8) If the son or unmarried daughter eligible for the grant of family pension has attained the age of eighteen years, the family pension may be paid to such son or unmarried daughter directly.

(9) (a) If a person who, in the event of death of an employee while in service, is eligible to receive family pension under these regulations, is charged with the offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person,including other eligible member or members of the family to receive the family pension,shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him;

(b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a), the person concerned -

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the employee, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to the other eligible member of the family, from the date of death of the employee;

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the employee, the family pension shall be payable to such a person from the date of death of the bank employee;

(c) the provisions of sub-clauses (a) and (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of an employee after his retirement.

CHAPTER VIII

COMMUTATION

41. Commutation.-

(1) An employee shall be entitled to commute for a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension:

Provided that in respect of an employee who is governed by sub-regulation (5) of Regulation 3 of these regulations, the family of such employee shall also be entitled to commute for a lump sum payment a fraction not exceeding one-third of the pension admissible to the employee.

(2) An employee shall indicate the fraction of pension which he desires to commute and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit as he may desire to commute.

(3) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation.

(4) The lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table given below-

TABLE

Commutation values for a pension of Re. one per annum

Age next birthday	Commutation value expresed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
17	19.28	27	18.21
18	19.20	28	18.07
19	19.11	29	17.93
20	19.01	30	17.78
21	18.91	31	17.62
22	18.81	32	17.46
23	18.70	33	17.29
24	18.59	34	17.11
25	18.47	35	16.92
26	18.34	36	16.72

37	16.52	61	9.81
38	16.31	62	9.48
39	16.09	63	9.15
40	15.87	64	8.82
41	15.64	65	8.50
42	15.40	66	8.17
43	15.15	67	7.85
44	14.90	68	7.53
45	14.64	69	7.22
46	14.37	70	6.91
47	14.10	71	6.60
48	13.82	72	6.30
49	13.54	73	6.01
50	13.25	74	5.72
51	12.95	75	5.44
52	12.66	76	5.17
53	12.35	77	4.90
54	12.05	78	4.65
55	11.73	79	4.40
56	11.42	80	4.17
57	11.10	81	3.94
58	10.78	82	3.72
59	10.46	83	3.52
60	10.13	84	3.32
		85	3.13

IndiaCode

Notes:-

(1) The Table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs. 100 x 10.46 x 12 = Rs.12,552.

(2) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(3) An applicant who is authorised a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations.

(4) In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension on voluntary retirement or premature retirement pension, no medical examination

shall be necessary,if the application for commutation is made within one year from the date of retirement. However, if such a pensioner applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination.

Explanation - An applicant who -

(i) retires on invalid pension under regulation 30 of these regulations; or

(ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 31 of these regulations; or

(iii) is compulsory retired by the Bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 33.

shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub-regulation (1) after he has been declared fit by a medical officer approved by the bank.

(5) The commutation of pension shall become absolute in the case of an employee-

(a) retiring on superannuation or voluntary retirement who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement :

Provided that the employee governed by sub-regulation (3) of Regulation 29 shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months and the commutation of pension shall become absolute only on the expiry of the period of notice referred to in sub-regulation (1) of Regulation 29;

(b) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement,on the date the application for commutation is received by the Competent Authority;

(c) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement,on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank;

(d) who has retired prior to the 1st day of November, 1993 and who opts to be governed by these regulations, on the 1st day of November, 1993, where

IndiaCode

the application for commutation is made within the period specified by clause (b) of the sub-regulation (1) of Regulation 3;

(e) who was in the service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but who retired prior to the publication of these regulations on the dayimmediately following the date of his retirement, where the application is made within the period specified by clause (b) of sub-regulation (2) of Regulation 3;

(f) who retired on or after the 1st day of November, 1993, but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made by the family of the deceased within the period specified by clause (a) of sub-regulation (5) of Regulation 3;

(g) in respect of whom invalid pension under Regulation 30 or compassionate allowance under Regulation 31 or compulsory retirement under Regulation 33 is admissible, commutation shall become absolute on the date of medical certificate given by a medical officer approved by the Bank.

CHAPTER IX

GENERAL CONDITIONS

42. Pension subject to future good conduct.-

Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these regulations.

43. Withholding or withdrawal of pension.-

The Competent Authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or criminal breach of trust or forgery or acting fradulently or is found guilty of grave misconduct;

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the minimum pension per mensem payable under these regulations.

44. Conviction by Court.-

Where a pensioner is convicted of a serious crime by a Court of Law, action shall be taken in the light of the judgement of the court relating to such conviction.

45. Pensioner guilty of grave misconduct. -

In a case not falling under Regulation 44 if the competent Authority considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, it shall, before passing an order, follow the procedure specified in Allahabad Bank, Officer Employees' (Discipline and appeal) Regulations, 1976 or in Settlement as the case may be.

46. Provisional Pension

(1) An employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued, a provisional pension, equal to the maximum pension which would have been admissible to him, would be allowed subject to adjustment against final retirement benefits sanctioned to him, upon conclusion of the proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withhold etc., either permanently or for a specified period.

(2) In such cases the gratuity shall not be paid to such an employees until the conclusion of the proceedings against him. the gratuity shall be paid to him on conclusion of the proceedings subject to the decision of the proceedings. Any recoveries to be made from an employee shall be adjusted against the amount of gratuity payable.

Explanation . - In this chapter,

(a) the expression "serious crime" includes a crime involving an offence under Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);

(b) the expression "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, documents or information, such as is mentioned in section 5 of the Official secrets act, 1923 (19 of 1923) which was obtained while holding office in the bank so as tc prejudicially affect the interests of the general public or the security of the State.

(c) the expression " fraudulently" shall have the meaning assigned to it under section 25 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(d) the expression "criminal breach of trust" shall have the meaning assigned to it under section 405 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(e) the expression "forgery" shall have the meaning assigned to it under section 463 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

47. Commutation of pension during departmental or judicial proceedings.-

An employee against whom departmental or judicial proceedings have been instituted before the date of his retirment or a person against whom such proceedings are instituted after the date of his retirement shall not be eligible to commute a fraction of his provisional pension,or pension, as the case may be, authorised under these regulations during the pendency of such proceedings.

48. Recovery of Pecuniary loss caused to the Bank.-

(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during the period of his service;

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed;

Provided further that departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service;

Provided also that no departmental or judicial proceedings, if not initiated while the employee was in service, shall be instituted in respect of a cause of action which arose or in respect of an event which took place more than four years before such institution.

(2) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee;

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations.

49. Recovery of Bank's dues.-

The Bank shall be entitled to recover the dues to the Bank on account of housing loans, advances, licence fees, other recoveries and recoveries due to staff co-operative credit society from the commutation value of the pension or the pension or the family pension.

50. Commercial employment after retirement.-

(1) if a pensioner who immediately before his retirement was holding the post of an officer and wishes to accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the Bank to such acceptance:

(2) Subject to the provision of sub-regulation (3), the Bank may, by order in writing,on the application by a pensioner, grant,subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such pensioner to take up the commercial employment specified in the application .

(3) In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a pensioner for taking up any commercial employement, the Bank shall have regard to the following factors, namely :-

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Bank;

(c) whether the pensioner while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such pensioner had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with Bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under Bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

IndiaCode

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (3), the Bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the Bank shall be deemed to have granted the permission applied for :

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the Bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the Bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Bank may make such orders thereon as it deems fit:

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of two years from the date of his retirement without the prior permission of the Bank or commits a breach of any condition subject to such permission to take up any commercial employment has been granted to him under this regulation, it shall be competent for the Bank to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such periods as may be specified in the order;

Provided that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of show cause against such declaration:

Provided further that in making any order under this sub-regulation, the Bank shall have regrd to the following factors namely: -

(i) the financial circumstances of the pensioner concerned;

(ii) the nature of,and the emoluments from, the commercial employment taker up by the pensioner concerned, and;

(iii) any other relevant factor.

(7) Every order passed by the Bank under this regulation shall be communicated to the pensioner concerned.

(8) In this regulation, the expression "commercial employment" means -

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company), and partnership of such firm but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as advisor or consultant in matters in respect of which the pensioner -

(A) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(B) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an 4unfair advantage by reason of his previous official position, or

(C) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Bank.

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office,whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like,by whatever name called in such society.

51. Nomination.-

(1) The trust shall allow every employee governed by these regulations to make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount of pensionary benefits under these regulations in the event of his death before that amount becomes payable or, having become payable, has not been paid. Such nomination shall be made in such form as may be specified by the Bank from time to time.

(2) If any employee nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall, in his nomination, specify the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount of the pensionary benefits that may be payable in the event of his death.

(3) A nomination made by an employee may, at any time, be modified or revoked by him after giving a written notice to the trust of his intention of doing so in such form as the Bank may from time to time specify.

(4) A nomination or its revocation or its modification shall take effect to the extent it is valid on the date on which it is received by the Trust.

52. Date from which pension becomes payable. -

(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of Regulation 43 and Regulation 46 apply a pension other than the family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires.

(2) Family pension shall become payable from the date following the date of death of the employee or the pensioner.

(3) Pension including family pension shall be payable for the day on which its recipient dies.

53. Currency in which pension is payable. -

All pensions admissible under these regulations shall be payable in rupees in India only.

54. Manner of payment of pension. -

A pension fixed at a monthly rate shall be payable monthly on or after the first day of the following month.

55. Power to issue instructions.-

The Chairman and Managing Director of the Bank may from time to time issue instructions as may be considered necessary or expedient for the implementation of these regulations.

56. Residuary provisions.-

In case of doubt, in the matter of application of these regulations, regard may be had to the corresponding provisions of Central Civil Services Rules, 1972 or Central Civil

IndiaCode

Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 applicable for Central Government employees with such exceptions and modifications as the Bank, with the previous sanction of the Central Government, may from time to time, determine.

Sd/-
P. N. RATTAN, General Manager

APPENDIX - I

(See Regulation 35)

IndiaCode

The formula of updating basic pension and additional pension in respect of employees who retired between the 1st day of January, 1986 and the 31st day of October, 1987 shall be as under :

A. 1. Basic pension shall be increased by an amount of;

(a) 50 per cent of first Rs.1000 of the average emoluments reckonable for pension. Rs. _____

(b) 45 per cent of next Rs.500 Rs. _____

(c) 40 per cent of the average emoluments reckonable for pension exceeding Rs.1500 Rs. _____

Total of (a + b + c) Rs._____(A)

B. 50 per cent of the average monthly emoluments for the last 10 months in service prior to retirement Rs. _____(B)

C. Dearness Relief at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100, on basic pension calculated at (1) above, as per Table given below : Rs._____(C)

D. Total increased basic pension

$$= \frac{(B) + (C) \times \text{Number of years' of qualifying service (maximum 33 years)}}{33}$$ Rs._____(D)

E. Basic pension as on 1.11.1993 (Rounded off to the next higher rupee) Rs._____(E)

(2) For increase in the additional pension, amount of special allowances counted for making contributions to Provident Fund will be increased with reference to the quantum of special allowances ranking for Provident Fund as per the Service Regulations or Settlements, as the case may be.

TABLE

Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100 for all classes of employees who retired during the period 1.1.1986 to 31.10.1987.

(a)	Employees in subordinate staff cadre	80.40 per cent of pension calculated at A(1) above
(b)	Employees in clerical staff cadre drawing pension upto Rs.756/- per month.	67 per cent of pension calculated at A(1) above

(c) Employees in clerical staff cadre drawing pension of Rs.757/- per month and above will be eligible for dearness relief as under :

Amount of basic pension drawn per month Rs.	The amount of dearness relief admissible Rs.
757 - 796	508.00
797 - 804	534.00
805 - 824	540.00
825 - 844	553.00
845 - 864	567.00
865 - 884	580.00
885 - 904	593.00
905 - 924	607.00
925 - 944	620.00
945 - 964	634.00

965 - 984	647.00
985 - 1004	660.00
1005 - 1024	674.00
1025 - 1044	687.00
1045 - 1064	701.00
1065 - 1084	714.00
1085 & above	727.00

(d) Employeesin officer cadre shall be eligible for dearness relief as under ;

(i) For those drawing basic pension upto Rs.765/- per month;	66 per cent of the amount of pension calculated as at A(1) above subject to a maximum of Rs.500
(ii) For those drawing basic pension from Rs.766/- to Rs.1165/- per month;	Rs.500
(iii) For those drawing basic pension of Rs.1166/- per month or above;	42.90 per cent of amount of pension calculated as at A(1) above subject to a maximum of Rs.715.

IndiaCode

APPENDIX - II

(See Regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under:

(1) In the case of employees who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) Upto Rs.1250	0.67 per cent
(ii) Rs.1251 to Rs.2000	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs.1250

(iii) Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs.2000
(iv) Above Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs.2130 and Rs.2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.2130.

(2) In the case of employees who retire on or after the 1st day of November, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be,of every -4- points over -1148- points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:-

IndiaCode

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) Upto Rs.2400	0.35 per cent
(ii) Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs.2400
(iii) Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.3850

(iv) Above Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs.4100 and Rs.3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs.4100.

(3) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(4) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.

(5) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.

(6) Dearness relief is not payable on additional pension.

APPENDIX - III

(See Regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under :

(a) In respect of employees other than part-time employees retired before 1.11.1993.

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.1500	30 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.375 per month.

Rs.1501 to Rs.3000	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.450 per month.
Above Rs.3000	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.600 per month and more than Rs.1250 per month.

(b) In respect of employees other than part-time employees retired or retiring on or after 1.11.1993.

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.2870	30 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of the allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
Rs.2871 to Rs.5740	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of the allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.

IndiaCode

Above Rs. 5740	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of the allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs. 1150 per month and a maximum of Rs. 2400 per month.

Notes :

(1) Dearness relief is not payable on additional family pension.

(2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of "Pay" as defined in sub-clause (r) of Regulation 2 and "allowances" as defined in the explanation to sub-regulation (3) of Regulation 33.

(3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.

IndiaCode

APPENDIX - IV

(See Regulation 27)

Actual service on scale wages rendered on permanent part-time basis in one week	Length of corresponding qualifying service for each year of service rendered on permanent part-time basis for calculating the amount of pension
Six hours or more but upto 13 hours;	One third of a year
More than 13 hours but upto 19 hours;	One half of a year
More than 19 hours but upto 29 hours;	Three fourth of a year
More than 29 hours	One year

Sd/—
P. N. RATTAN, General Manager

2395 GI/95

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995

IndiaCode